राजस्थान विधान सभा

९१ वीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक–५ नवम्बर, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८–११ बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २१२०

राजस्थान में ताड़ गुड़ उद्योग व उसकी प्रगति

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में ताड़ गुड़ उद्योग कहां कहां चलता है ?

(ख) राजस्थान निर्माण के बाद इस उद्योग में क्या प्रगति हुई है ?

(ग) इस उद्योग से कितने व्यक्ति जीवन-निर्वाह करते हैं ?

(घ) इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कब कब कितने कितने रुपये सरकार द्वारा सहायतार्थ दिये गये ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) राजस्थान में ताड़ गुड़ उद्योग १३ जिलों में ३० केन्द्रों में चालू हैं। जिसके विगत की सूची सदन की मेज पर रखी गई है। इस उद्योग की शिक्षा पाकर इन केन्द्रों के पास वाले करीब ५० गांवों के मनुष्य इस उद्योग को करते हैं।

वह सूची इस प्रकार है :

	नाम जिला	केन्द्र के नाम
१.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा, घाटोल, अर्थुना, लोहारिया।
२.	डूंगरपुर	फलोज, सबला, सगवाड़ा।

Page No.2

[श्री जयनारायण व्यास]

३.	चित्तौड़गढ़	पान्डोर्ली, आचारी, छोटी सादड़ी, बेगूं ।
४.	भीलवाड़ा	हमीरगढ़, सलारिया ।
५.	उदयपुर	कोटडा, भोमट, मेद ।
६.	अलवर	प्रतापगढ़ ।
७.	जयपुर	जमवारामगढ़, कोराबिसल, नीजार, रेनवाल । टाला, मेड, भेरना ।
८.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर ।
९.	कोटा	रायपुरा ।
१०.	बांरा	बांरा, वाबरीखेरा ।
११.	बून्दी	साथूर ।
१२.	टोंक	टोरडीसागर ।
१३.	जालोर	बड़ागांव ।

(ख) राजस्थान निर्माण के बाद में इस उद्योग के सिलसिले में निम्नलिखित काम हुए :—

१. यह उद्योग सन् १९४९ के अगस्त के मास में प्रारम्भ हुआ । अब तक ६२३ व्यक्तियों को इसकी शिक्षा दी गई और उन्होंने ६५५० मण ताड़ गुड़, जिसका मूल्य १,३१,००० रु० होता है, का उत्पादन किया ।

२. ताड़ गुड़ उद्योग के कार्यकर्त्ताओं की १२ को-ऑपरेटिव सोसायटीज़ जिनमें १५० मेम्बर्स हैं, निर्माण हुई । को-ऑपरेटिव सोसायटी के निर्माण का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह उद्योग सदा के लिये चलता रहे ।

३. विद्यार्थियों के ३ जत्थे जिनमें प्रत्येक में कुल ३५ विद्यार्थी थे, मद्रास राज्य में शिक्षा के लिए भेजे गये । दो शिक्षण शिविर सवाई माधोपुर व बांसवाड़ा में भी चलाये गये जहां उद्योग की सुधरी हुई कला की शिक्षा दी गई ।

४. अखिल भारतीय ताड़ गुड़ उद्योग की प्रदर्शनियां और मीटिंगों में भाग लिया गया और राजस्थान में भी ४० प्रदर्शिनियों में भाग लिया गया ।

[श्री जयनारायण व्यास]

५. ताड़ के पत्तों से चटाई, थैले, खिलौने इत्यादि भी बनाये जाते हैं, जिनकी सर्वत्र मांग होती है।

६. राजस्थान में जो ताड़ गुड़ बनाया जाता है वह ऊंचे दर्जे का माना जाता है, और उसकी विक्री देहली व अन्य बड़े बड़े शहरों में अच्छी होती है।

७. नीरा निकालने में यहां के लोग बहुत ही होशियार है और अजमेर-भूपाल इत्यादि राज्य में ट्रेनिंग देने के लिए भी भेजे जाते हैं।

८. आदिवासी क्षेत्र में केन्द्र खोले गये हैं। २७२ आदिवासियों को शिक्षा दी गई है। आदिवासी क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय इस कार्य के लिए २०,००० रु० खर्च के लिए देते हैं।

९. पिछले पांच वर्षों में खजूर के बहुत से वृक्षों का रोपण किया गया जिनमें आधे से ज्यादा जीवित हैं।

१०. सन् १९५०-५१ में इसकी सर्वे कराई गई जिसमें २० लाख ताड़ के पेड़ और १५४ स्थानों में २००० के झुन्डों में खजूर के वृक्ष और ४६२ स्थानों में ५०० वृक्षों के झुंड पाये गये।

११. एक ताड़ गुड़ मासिक पत्र भी निकलता है जिसके द्वारा प्रचार होता है।

१२. इससे संबन्धित औजार वगैरह यहीं पर तैयार कराये जाते हैं।

१३. इस उद्योग को तरक्की देने के लिए एक बिल सरकार के विचाराधीन है।

(ग) ४५० कुटम्बों का इससे निर्वाह होता है। प्रत्येक छेदक को १ रु० ८ आना रोजाना आय होती है। इसके अतिरिक्त लुहार, सुथार वगैरह इसके संबन्धित औजार बनाते हैं उन्हें भी अपनी आय प्राप्त होती है।

(घ) इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा जो आर्थिक सहायता दी गई उसका स्टेटमेंट साथ है।

श्री चांदमल मेहता—अगर वह स्टेटमेंट लम्बा नहीं हो तो बता दीजिये।

श्री जयनारायण व्यास—वह स्टेटमेंट इस प्रकार है :—

	१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४	१९५४–५५
वार्षिक बजट	७३,८३०–	१,४०,०००–०–	१,०२,३१२–०–	१,०१,०००–०–	९१,३००–०	१,०६,१००–०
कुल खर्चा	५२,७७९–२–०	१,२४,११०–१३–०	८६,००३–११–०	९४,४१९–७–०	७४,८४६–८–६	०००
स्टेट गवर्नमेंट के शेअर्स	३०,४२०–११–०	६२,०५५–६–६	३७,८४७–११	३५,७६३–७–	३२,३४६–८–६	०००
सेन्ट्रल गवर्नमेंट के शेअर्स	२२,३५८–७–०	६२,०५५–६–६	५१,१५६–०–	२८,६५६–०		
हायता वगैरह की रकम विद्यार्थियों को दी गई	२१,४०२–११–	४६,७२८–११–०	२२,०६१–११–०	२,६२,०२०	११,७५०–०	

श्री चांदमल मेहता—यह जो बिल सरकार के विचाराधीन है कब सदन के सामने आने वाला है ?

श्री जयनारायण व्यास—इसके बारे में निश्चित तिथि मैं नहीं बतला सकता क्योंकि इस बिल को लॉ डिपार्टमेंट में भी भेजा जायगा, जहां लीगल पोइन्ट्स को ठीक किया जायगा, कोमर्स डिपार्टमेंट में भी भेजा जायगा। इसलिये निश्चित तिथि मैं नहीं बता सकता, किन्तु इतना जरूर कह सकता हूं कि हम इस बिल को जल्दी-से-जल्दी सदन में लाने वाले हैं।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जहां ताड़ के पेड़ मौजूद हैं किन्तु वहां उद्योग चालू नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह तो बताना बड़ा मुश्किल है किन्तु यह सम्भव है कि जिन क्षेत्रों के लिये आपका मतलब है वहां इतने ताड़ के पेड़ नहीं होंगे जहां सामुहिक रूप से यह उद्योग चालू किया जा सके।

प्रश्न संख्या २१२१

चित्तौड़ जिले के सरकारी दवाखानों में दवाइयां

श्री जगतसिंह झाला—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला चित्तौड़गढ़ में किन-किन सरकारी दवाखानों में इस वर्ष कितनी-कितनी रकम दवाइयों के लिए रक्खी गई है ?

(ख) क्या बड़ी सादड़ी के दवाखाने में इस वर्ष ३००)(तीन सौ) रुपये दवाइयों के मद में गत वर्ष से कम रक्खे गये हैं ?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या सरकार बड़ी सादड़ी के मुकाबले में छोटी जनसंख्या के गांवों व कस्बों में इस मद में ज्यादा खर्च करती है ?

(ङ) क्या सरकार जनसंख्या व दैनिक बीमारों की अनुपात संख्या को ध्यान में रखते हुए रकम को फिर से बढ़ाने का आदेश शीघ्र देगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) जिला चित्तौड़गढ़ में सरकारी दवाखानों (एलोपैथिक) में इस वर्ष दवाइयों के लिए जो रकम रक्खी गई है उसकी तालिका संलग्न है ।

(ख) जी हां ।

(ग) बड़ी सादड़ी के लिए दवाइयों की १५००) रुपयों की रकम में से ३००) रुपया बंसी डिस्पेन्सरी को दिये गये क्योंकि बंसी डिस्पेन्सरी में रुपये ५००) की रकम कम साबित हुई । अब बड़ी सादड़ी के लिए वापिस १५००) रुपया की रकम कर देने का आदेश दे दिया गया है ।

(घ) प्रत्येक डिस्पेन्सरी की आवश्यकता ध्यान में रखते हुए वहां की रकम स्थिर की जाती है ।

(ङ) आदेश जारी कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या २१२२

जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिशियेटिंग एस. एच. ओज़ की नियुक्तियाँ

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) इस वर्ष जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने अनट्रेन्ड व्यक्ति ऑफिशियेटिंग एस. एच. ओ. नियुक्त किये गये हैं ?

(ख) उक्त व्यक्तियों के नाम तथा योग्यता क्या-क्या हैं व सर्विस कितनी-कितनी है ?

(ग) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो एस. एच. ओ. के स्थान पर काम कर रहे थे लेकिन अनट्रेन्ड होने की वजह से रिवर्ट कर दिये गये हैं ? उनकी सर्विस कितने वर्षों की है और योग्यता क्या-क्या है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) इस वर्ष जयपुर जिले में एक भी अनट्रेन्ड ऑफिशियेटिंग एस. एच. ओ. नियुक्त नहीं किया गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Page No.7

[श्री जयनारायण व्यास]

(ग) एक भी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चांदमल मेहता—ट्रेन्ड कितने व्यक्ति इस वर्ष ऑफिशियेटिंग एस. एच. ओ. बनाये गये ?

श्री जयनारायण व्यास—यह प्रश्न अलग है और फिर एस. एच. ओ. या ए. एस. आई. की सब तरह की सब की लिस्ट मेरे पास नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की यह जानकारी में है कि किशनगढ़ में ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं इस वक्त भी कि जो एस. एच. ओ. थे, पर अनट्रेन्ड होने की वजह से रिवर्ट कर दिये गये ?

श्री जयनारायण व्यास—इस वर्ष की नियुक्ति का प्रश्न था उसका जवाब दे दिया गया । कोई अनट्रेन्ड था और रिवर्ट कर दिया गया तो कर दिया गया होगा । मुझे इसकी जानकारी नहीं है और अगर रिवर्ट कर दिया गया होगा तो कायदे से किया गया होगा ।

श्री चांदमल मेहता—इसके सम्बन्ध में कायदा क्या है ? क्या कोई अनट्रेन्ड व्यक्ति एस. एच. ओ. नहीं रह सकता ?

श्री जयनारायण व्यास—जिस तरह से कोई असेम्बली में जीत करके आता है वह मेम्बर हो जाता है इसी तरह से जो ट्रेनिंग पास कर लेता है वह ट्रेन्ड माना जाता है और वह इन्सपेक्टर आदि हो जाता है ।

श्री चांदमल मेहता—अनट्रेन्ड इस वक्त कोई एस. एच. ओ. है कि नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—हो सकता है । कोई अगर पुराना है और योग्यता वैसी रखता है तो ऐसे कारणों से भी वह ट्रेन्ड गिना जाता है और इस पद के लायक कोई इन कारणों से भी योग्य गिना गया होगा ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री इस बात की भी जांच करने की कृपा करेंगे कि किसी अनट्रेन्ड व्यक्ति को भी एस. एच. ओ. बनाया गया है कि नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं कहता हूँ कि अनट्रेन्ड व्यक्तियों को आई. जी. पी भी बनाया था तो उम्र अनुभव और जानकारी भी एक योग्यता गिनी गई है । इस तरह से

[श्री जायनारायण व्यास]

योग्यता के आधार पर कोई व्यक्ति एस. एच. ओ. भी बनाया जा सकता है। इसकी सूची मेरे पास इस समय नहीं है। आप अगर चाहेंगे तो बाद में बताई जा सकती है।

श्री चांदमल मेहता—मैंने जो प्रश्न पूछा उसके उत्तर में बताया गया कि कोई अनट्रेन्ड व्यक्ति एस. एच. ओ. नहीं बनाया गया। इसके सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इसकी आप जांच कराने को तैयार हैं कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में इस वर्ष अनट्रेन्ड व्यक्ति को भी एस. एच. ओ. बनाया गया है?

श्री जयनारायण व्यास—मैं इसके जवाब में कह चुका हूँ और इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २१२३

जिला चितौड़गढ़ में डिस्पेन्सरीज़ में इन्डोर पेशेन्ट्स के लिए पलंगों की व्यवस्था

श्री जगतसिंह झाला—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) जिला चितौड़गढ़ में किन किन डिस्पेन्सरीज़ में इन्डोर पेशेन्ट्स के लिये कितने कितने पलंगों की व्यवस्था है?

(ख) क्या यह सच है कि बड़ी सादड़ी में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है?

(ग) क्या सरकार इसके लिये नया भवन निर्माण होने तक किसी स्थानीय मकान को किराये पर लेकर व्यवस्था करेगी?

(घ) यदि हां, तो कब तक?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) इस सम्बन्ध की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी हां, वहां चार शय्याओं की व्यवस्था है।

(ग व घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री जगतसिंह भाला—तालिका मुझे प्राप्त नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष—(श्री कुम्भाराम से) तालिका पढ़ दीजिये। पढ़वाना चाहते हैं। बड़ी है क्या ?

श्री कुम्भाराम आर्य—कोई बड़ी नहीं है। मैं पढ़े देता हूं :

क्रम संख्या	संस्था का नाम	स्वीकृत बिस्तरों की तादाद
१	२	३
१	जनरल अस्पताल, परतावगढ़	२५
२	मैटरनिटी हास्पिटल	२०
३	चित्तौड़गढ़	१२
४	निम्बाहैडा	१२
५	कपासन	८
६	राशमी	४
७	भदेसर	४
८	देवगढ़	१२
९	छोटी सादड़ी	१०
१०	बड़ी सादड़ी	४
११	बंसी	२
१२	बेगूं	६
	बाकी	निल।

श्री जगतसिंह भाला—क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी में एक भी पलंग की व्यवस्था नहीं है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—चार की है।

एक माननीय सदस्य—जहां पलंग की व्यवस्था है वहां जगह की भी व्यवस्था है कि नहीं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—बिना जगह के पलंग रक्खा भी नहीं जाता है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह सही है कि चार पलंग सरकारी कागजों में दिखाये गये हैं, पर अस्पताल में एक भी नहीं है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—कागजों में ही नहीं, वहां बीमारों का इलाज भी किया गया है।

श्री जगतसिंह झाला—तो फिर क्या ये पलंग कागजों पर बिछाये गये थे ? वहां तो वास्तव में रखने के लिए भी स्थान नहीं है।

श्री कुम्भाराम आर्य—पलंग कागजों पर नहीं, जमीन पर रक्खे जाते हैं।

(हंसी)

श्री जगतसिंह झाला—वहां पर पलंग नहीं रक्खे गये हैं और मैं फिर निवेदन करता हूँ कि वहां एक भी पलंग नहीं है। आप इसकी फिर जांच करा सकते हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं जांच करा सकता हूँ, पर गलत नहीं निकले जो बात आप कह रहे हैं।

श्री रामदयाल उपाध्याय—और यदि इस बात में तथ्य निकला तो फिर जो इससे सम्बन्धित अधिकारीगण होंगे उनके प्रति कोई सख्त एक्शन लिया जा सकेगा क्या ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हां।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २१२४

चूरू, राजगढ़ व तारानगर तहसीलों में राष्ट्रीय विकास योजना खोलने पर विचार

श्री प्रभुदयाल—क्या विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार चूरू, राजगढ़, व तारानगर तहसीलों में कोई राष्ट्रीय विकास योजना खोलने का विचार रखती है ?

(ख) अगर हां, तो कब तक ?

[श्री प्रभुदयाल]

(ग) अगर नहीं तो, क्यों नहीं ?

(घ) सरकार राष्ट्रीय विकास योजना खोलने के लिये किन किन बातों पर ध्यान देती है और प्राथमिकता किन किन बातों पर विचार करके कायम करती है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) हां । अगले वर्ष जब नये राष्ट्रीय विस्तार खण्ड खोले जावेंगे उस समय इन तहसीलों में भी राष्ट्रीय विस्तार खण्ड खोलने पर विचार किया जावेगा।

(ख) राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के अन्तर्गत नये क्षेत्रों के चुनाव के लिये भारत सरकार के सामुदायिक योजना प्रशासन की ओर से निम्नलिखित बातें निर्धारित की गई हैं :

(१) सिंचाई के साधन और वर्षा का निश्चित परिमाण जिससे विशेष प्रयत्न करने पर अच्छे परिणाम निकल सकें ।

(२) क्षेत्र के नजदीक कृषि या प्रसार केन्द्र का होना, और

(३) ऐसे क्षेत्र का पास होना जहां पहले से ही राष्ट्रीय विस्तार योजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हो ताकि, इकाई में आ जावे ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री मोहब्बतसिंह ।

प्रश्न संख्या २१२५

कालंदरो (सिरोही डिस्ट्रिक्ट) से १-६-५३ से १-१०-५४ तक डाक्टरों का स्थानान्तर

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Minister for Medical and Health be pleased to state :-

(a) How many doctors have been transferred from Kalandri Sirohi District during the period from 1-9-53 to 1-10-54 ?

(b) What was the duration of stay of each doctor in this dispensary (Kalandri) during the aforesaid period ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री—(क) डा० बी० सी० मेहता सी० एस० क्लास २, ता: १-६-५१ से मई सन् १९५४ तक ।

[श्री कुम्भाराम आर्य]

(२) डा० ए. सी. कपिलाल सी. एस. क्लास १ जून १६५४ से सितम्बर १६५४ तक।

(३) डा० किशनसिंह इन्दा सी. एस. क्लास २, अक्टूबर, सन् १९५४ से अब तक चल रहे हैं।

श्री मोहब्बतसिंह—डाक्टरों की यह जो तालिका बताई उस वक्त डाक्टर कालन्द्री में रहे या केवल नियुक्ति वहां होकर छुट्टी में रहें ?

श्री कुम्भाराम आर्य—कोई डाक्टर काम की वजह से छुट्टी पर रह सकता है।

श्री मोहब्बतसिंह—नहीं, प्रश्न यह है कि जितने अर्से के लिए वे नियुक्त किए गये थे उतने अर्से के लिए क्या वे कालिन्द्री में रहे थे क्या ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यही मैं यह कह रहा हूँ। यही नियुक्ति की बात कह रहा हूँ, हाजरी की बात नहीं कह रहा हूँ।

श्री मोहब्बत सिंह—मैं पूछ रहा हूँ हाजरी के लिए। कितने अर्से तक डाक्टर कालिन्द्री में उपस्थित रहे ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह तो प्रश्न पूछा नहीं गया। अब दुबारा आप पूछेंगे तो इसका भी जवाब दे सकूंगा।

श्री मोहब्बत सिंह—आप मेरे प्रश्न को देखें, उसमें साफ है।

"What was the duration of stay of each doctor in this dispensary (kalandri) during the aforesaid period ?" इनके ड्यूरेशन का वहां ठहरने का ही समय पूछा गया है। तो इसका उत्तर देना भी आपके लिए आवश्यक हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह वि० स० (१६)—आपने प्रश्न फिर हिन्दी में क्यों नहीं किया ? अंग्रेजी में क्यों किया ?

(हंसी)

श्री कुम्भाराम आर्य—इसकी इत्तला सदस्य महोदय चाहेंगे और कहेंगे तो मंगा दी जावेगी।

Page No.13

श्री मोहब्बत सिंह—मेरा खयाल है कि जब प्रश्न पूछा गया था तभी यह बात साफ हो गई थी कि मैं क्या चाहता हूँ। जो इच्छा थी वह प्रकट कर दी गई थी, प्रश्न के अन्दर साफ तौर से, इसलिए मैं माननीय अध्यक्षजी से निवेदन करूंगा कि इसका उत्तर समुचित दे दिया जावे, बिना मांगे।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं माननीय सदस्य महोदय की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि इससे भी उनकी समस्या का हल नहीं होगा। इसलिए यह कहीं ज्यादा ठीक रहेगा कि उनके मन में क्या है, यह वे प्रकट कर दें ताकि समस्या साफ हो जावे।

श्री मोहब्बत सिंह—हम तो प्रिज्यूम करते थे कि जब एक बार डाक्टर की वहां नियुक्ति हो जाती है तो डाक्टर को वहां रहना चाहिये, पर वहां कोई समय पर रहते नहीं थे। तो अब हमारी तो यही मन्शा है कि डाक्टर वहां बराबर रहे, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये और अगर कोई डाक्टर वहां रहना नहीं चाहता है तो इसका कारण ढूंढने की कृपा करें।

श्री कुम्भाराम आर्य—इस वक्त डाक्टर वहां पर मौजूद है और बराबर हाजिर है, और आइन्दा के लिए भी इसी तरह से रहेगा। अगर पहले अनुपस्थित रह गये हैं तो इसकी सदस्य महोदय को भी पहले जानकारी देना चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २१२६

राजस्थान में सहकारी बैंक की शाखाएं खोलने के आधार

श्री चांदमल मेहता—क्या सहकारी मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) राजस्थान में सहकारी बैंक की शाखाएं कहां कहां हैं?

(ख) उक्त शाखाएं किस आधार पर खोली गई हैं?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मन्त्री)—(क) राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जयपुर की शाखा केवल उदयपुर में है। कोटा, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा आदि स्थानों पर अन्य सहकारी केंद्रीय बैंक हैं और उनकी शाखाएं अन्य स्थानों पर भी हैं।

[श्री अमृतलाल यादव]

(ख) जहां पर सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए साधारण बैंक उपलब्ध न हों, वहां पर अपेक्स बैंक की शाखा खोली जा सकती है, बशर्ते कि शाखा को चलाने लायक कार्य उस इलाके में उपलब्ध हो सके।

प्रश्न संख्या २१२७

श्री अध्यक्ष—श्री छीतरलाल शर्मा।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—Questions of 22nd, श्रीमती कमला कुमारी।

प्रश्न संख्या २०८३।

जयपुर और आमेर के बीच सरकारी भवनों में कृषि तथा वन विभागों की स्थापना

श्रीमती कमला कुमारी—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर और आमेर के बीच तीन मील के एरिया में कितने सरकारी मकान खाली पड़े हैं?

(ख) उनमें से कितने मकान दुरुस्त हैं जिनमें बिजली की भी व्यवस्था है?

(ग) सरकार उन पर सालाना कितना खर्चा करती है?

(घ) सरकार के एग्रीकल्चर महकमे के दफ्तर कौन कौन सी जगह पर स्थित हैं?

(ङ) सरकार इन दफ्तरों के लिए मकान किराये के रूप में कितना रुपया सालाना खर्च करती है?

(च) फॉरेस्ट ऑफिस कितने मकान घेरे हुए हैं? तथा उनका सालाना मकान किराया कितना दिया जाता है?

(छ) सरकार इन दफ्तरों को किराये के मकानों से हटाकर इन खाली पड़े सरकारी मकानों में क्यों नहीं स्थापित करती?

V

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) जयपुर और आमेर के बीच ३ मील के एरिया में सिर्फ एक मकान खाली है जो जल महल के नाम से प्रसिद्ध है।

(ख) इसमें बिजली की व्यवस्था नहीं है।

(ग) कोई खास खर्च नहीं किया जाता है।

(घ) सरकार का एग्रिकल्चर दफ्तर चौमू हाउस, सी स्कीम, जयपुर में है।

(ङ) इसका मकान किराया ४०० रु० माहवार है।

(च) डिवीज़नल फॉरेस्ट ऑफिसर का दफ्तर जलेबी चौक में है। उस मकान का कोई किराया नहीं दिया जाता है।

(छ) जल महल के अन्दर सिर्फ वरान्डा और गेलेरियां है, कोई दरवाजे नहीं हैं और वह शहर से दूर भी है, जिसके कारण वह दफ्तर के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है।

प्रश्न संख्या २०८४

बारेठा, बान्सी तथा पहाड़पुर की पत्थर की खानों से १६५० से ५४ तक आय

श्री अंगदराम शास्त्री—क्या खनिज मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) बारेठा तहसील बयाना और बान्सी, पहाड़पुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर के पत्थर की खानों से सन् १९५०, ५१, ५२, ५३. ५४ में सरकार को कितनी आय हुई ?

(ख) इन खानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है ?

(ग) क्या कोई मजदूर यूनियन वहां पर बनी हुई है ?

(घ) मजदूरों की छुट्टी अथवा अन्य सुविधाओं के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) बोरडा, बान्सी और पहाड़पुर के पत्थरों की खानों की जो आय हुई उसकी स्थिति इस प्रकार है :

१६५०	७६०२८ रु. ४ आ. ६ पा.
१६५१	७११८६ रु. ० आ. ३ पा.

[श्री जयनारायण व्यास]

१९५२	७०७०८ रु. १२ आ. ० पा.
१९५३–५४	१०१२२९ रु. ११ आ. ३ पा.

(ख) इन खानों में कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या लगभग ५५० है।

(ग) हां।

(घ) हां।

प्रश्न संख्या २०८५

शासकीय सचिवालय के विभिन्न पदों के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में सेक्रेटेरियेट में कितनी नई नियुक्तियां की गई है ?

(ख) उक्त नियुक्तियों में गजटेड ऑफिसर, अपर डिवीज़न क्लॉर्क और लोअर डिवीज़न क्लॉर्क कितने कितने हैं ?

(ग) जो नई नियुक्तियां की गई हैं उनमें पिछली मर्तबा छंटनी किये गये कितने कर्मचारी रखे गये हैं ?

(घ) नई नियुक्तियों के लिए क्या आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे ?

(ङ) यदि हां, तो कब कब ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) ९८।

(ख) गजेटेड आफिसर ३।

अपर डिवीज़न क्लार्क ७।

लोअर डिवीज़न क्लार्क ८५।

(ग) एक।

Page No.17

[श्री जयनारायण व्यास]

(घ) नहीं।

(ङ) (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—जो नई नियुक्तियां की गई हैं वह नई पोस्ट क्रियेट की गई हैं उन पर की गई हैं।

श्री जयनारायण व्यास—जो नई नियुक्तियां की गई हैं, गजेटेड आफिसरों की वह अस्थाई तौर पर की गई हैं, और क्लार्कों की जो नियुक्तियां की गई हैं वह लोअर डिवीज़न क्लार्कों की हैं। वह ज्यादातर नये स्थानों के लिए की गई हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह समझा जाय कि सेक्रेटेरियेट की पहले जो छंटनी की गई है उसको ठीक करने के लिए यह नई नियुक्तियां की गई हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—सेक्रेटेरियेट की छंटनी दूसरे तरीके की है। यह नियुक्तियां अस्थायी किसी विशेष काम के लिए की गई हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह नई नियुक्तियां किस तारीख से हुई हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—क्या ?

श्री कंवरलाल जेलिया—कब हुई ?

श्री जयनारायण व्यास—वह अलग अलग तारीखों में हुई हैं। अलग अलग जरूरतें पैदा हुई होंगीं तब हुई होंगीं।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या ऐसी नियुक्तियों के समय गजेटेड ऑफिसर्स में शेडूल्ड कास्ट्स के व्यक्तियों का मौका लिया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—न कोई शेजूल्ड कास्ट्स में से कोई था और न शेडूल्ड ट्राइब्ज़ में से था और न हमारे यहां आदमी मौजूद थे उनमें से किसी को उपयुक्त पाया गया। विशेष काम के लिए अस्थायी नियुक्तयां हुई हैं गजेटेड आफिसरों की। बाकी क्लार्कस की जो नियुक्तियां हुई हैं वह स्थान रिक्त हुए हैं, डिपार्टमेन्टल हेड्स को जरूरत हुई। उस वक्त जरुरत हुई तो पूरी कर ली गई।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि राजस्थान सरकार ने कहीं नोटिफिकेशन दिया है हरिजन गजेटेड आफिसर के लिये ? कहीं उस पोस्ट की मांग निकाली थी और उनके आवेदनपत्र आये हैं ?

[श्री भैरोंसिंह]

श्री जयनारायण व्यास—यह बिल्कुल दूसरा प्रश्न है।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह नियुक्तियों का सवाल है।

श्री जयनारायण व्यास—नियुक्तियों का सवाल अलग करेंगे तो जवाब दिया जायगा। यह तो सेक्रेटेरियेट के बारे में इन्फोर्मेशन चाहते हैं।

श्री चांदमल मेहता— वह विशेष कारण बतला दिये जायं, जिनके कारण गजेटेड ऑफिसर्स की नियुक्तियां हुई हैं।

श्री जयनारायण व्यास—एक तो टुरिस्ट्स फेसिलिटीज के लिए एक सरप्लस ऑफिसर था उसको नियुक्ति किया गया। यह फेसिलिटीज़ के बारे में योजना बन रही है। अगर जरूरत हुई तो यह स्थान परमानेन्ट किया जायगा। दूसरा जो आफिसर मुकर्रर किया गया है वह सेटिलमेन्ट आफ मिलिट्री क्लेम्स के लिए किया गया है। राजस्थान में जो सनिक पेन्शनर्स हैं और दूसरे प्रान्तों के दावे हैं उनका फैसला करने के लिए और उस काम में मदद देने के लिए की गई थी। तीसरी नियुक्ति जो फार्म्स हैं फाइनेन्स डिपार्टमेंट के उनका स्टेन्डर्डाइज़ेशन करने के लिए, उनको एक सा बनाने के लिए, कि गई है।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह जो नियुक्तियां की गई हैं क्या इन नियुक्तियों की योग्यता रखते राजस्थान सरकार के पास जितने हरिजन म्मीदवारों के आवेदन पत्र आये हैं उनमें से किसी की भी योग्यता नहीं थी?

श्री जयनारायण व्यास— मैंने उत्तर दिया, न हरिजनों की थी और न दसरे लोगों की थी। यह बिल्कुल नई नियुक्तियां की गई हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या २०८६

जयपुर शहर में मध्यरात्रि के पश्चात् पुलिस द्वारा तांगे व रिक्शे गलियों में जाने से रोकना

श्री चांदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में रात्रि के १२ बजे बाद तांगे व रिक्शे गलियों में जाने से पुलिस द्वारा रोके जाते हैं?

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

श्री जयनारायण व्यास—(क) जयपुर शहर में रात्रि के १२ बजे बाद खाली तांगे वा रिक्शे रास्तों में जाने से रोके जाते हैं। ऐसे तांगे व रिक्शे जिनमें सवारियां होती हैं नहीं रोके जाते। खाली तांगा व रिक्शा के चालक से रास्ते में आने का कारण पूछा जाता है। और यदि उसका उत्तर संतोषजनक होता है तो उसको भी जाने दिया जाता है।

(ख) ऐसी पूछताछ का कारण यह है कि शहर में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें खाली तांगा व रिक्शा अपराधियों द्वारा काम में लिया गया है। शहर में हुई ऐसी वारदातों की रोकथाम के लिये ही ऐसा किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि तांगों व रिक्शों में सवारियां बैठी हुई हैं और रात के १२ बजे बाद गलियों में जाने की हालत में पुलिस द्वारा चालान किया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—जी नहीं। खाली तांगे या रिक्शे को रोका गया है। अगर कोई चालान किया गया है तो इसमें कोई शक या और किसी तरह का सामान हो तो चालान हो सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री महोदय अब इस संबंध में स्पष्ट आदेश दे देंगे कि सवारियों के होते हुए तांगों या रिक्शों को गलियों में जाने से नहीं रोका जाय ? मेरा खुद का अनुभव है। मुझे खुद को रोका गया है।

श्री जयनारायण व्यास—शक के अन्दर रोक लिया हो वह बात अलग है। (हंसी) लेकिन आम तौर पर खाली तांगों को या रिक्शों को रोका जाता है, उससे पूछा जाता है। सवारियों वालों से नहीं पूछा जाता है। माननीय सदस्य को रोका गया है तो मेरे खयाल से इसकी जानकारी नहीं होगी। शायद उस वक्त और किसी के शक में माननीय सदस्य को रोका गया हो।

(हंसी)

श्री जवानसिंह—क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रोक टोक विशेष गलियों के लिए ही है या सब जगह के लिए है ?

श्री जयनारायण व्यास—मुझे विशेष गलियों का पता नहीं है।

(हंसी)

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच करने की कृपा करेंगे कि जो जवाब दिया गया है उसमें कहां तक सच्चाई की मात्रा है ? मैं यह स्थिति जयपुर में कई दिन से देख रहा हूँ कि गलियों में जाने वाली सवारियों को बजार में उतार दिया जाता हैं।

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूं कि मैंने जो जवाब दिया है उसमें पूरी सच्चाई है। उसके अलावा कोई ज्यादती हो ऐसी बातें मेरे नोटिस में लाई जायगी तो कदम उठाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—Declarations on the floor of the House must be honoured and must be followed.

प्रश्न संख्या २०८७

राजस्थान के कुछ कारखानों से रॉयल्टी के नाम पर विक्रय कर

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में ऐसे कौन कौन से कारखाने हैं जिनसे रॉयल्टी के नाम पर सेल्स टेक्स वसूल किया जाता है ?

(ख) उक्त टेक्स किस किस कारखाने से किस किस रेट पर वसूल किया जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री) —चूंकि प्रश्न का उत्तर काफी लंबा है इसलिए उत्तर सदंन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट देखिये)

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसके ऊपर सप्लिमेन्ट्री किये जाने की आवश्यकता है। इसलिए उसके पढ़े जाने की मैं आवश्यकता समझता हूं।

श्री अध्यक्ष—पढ़ियेगा साहब।

श्री जयनारायण व्यास—काफी बड़ा है।

श्री चांदमल मेहता—क्वश्चन अवर के प्रारम्भ होने से कुछ समय पूर्व जब कि इस सवाल का नम्बर आने वाला था तब दिया गया है। प्रश्न नहीं मालूम होने की वजह से देख नहीं

[श्री चांदमल मेहता]

सका हूं। अगर नहीं पढ़ा जाता है तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो सेल्स टेक्स लगा दिया उस स्थिति में इस तरह के टेक्स को क्या बन्द करने का विचार रखती है ?

श्री जयनारायण व्यास—अभी सेल्स टेक्स नहीं लगा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सेल्स टेक्स लागू होने के बाद इस तरह का सरकार सोच रही है उद्योगों को प्रोत्साहन देने, के लिए, इस तरह के टेक्स बन्द करने के बारे में ?

श्री जयनारायण व्यास—सेल्स टेक्स के लागू होने के बाद में टेक्सेज़ जो लगे हुए हैं सेल्स टेक्स के रूप में उसमें वह रहेगा। उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा।

श्री चांदमल मेहता—यदि वह रॉयल्टी के नाम से ही सेल्स टेक्स होगा तो उसकी क्या स्थिति होगी ?

श्री जयनारायण व्यास—रॉयल्टी अलग चीज़ है और सेल्स टेक्स अलग चीज है।

श्री चांदमल मेहता—नान रॉयल्टी रखकर बिक्री 'टेक्स लिया जायगा तो क्या स्थिति होगी ?

श्री जयनारायण व्यास—यह कानूनी मसला है, जिसके बारे में लॉ डिपार्टमेन्ट की राय लेकर ही कुछ कह सकता हूं।

श्री चांदमल मेहता—इस तरह के टेक्सेज़ क्या राजस्थान में सर्वत्र एक से हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न किस के बारे में पछा जा रहा है ?

श्री चांदमल मेहता—रॉयल्टी के बारे में।

श्री अध्यक्ष—बार बार आप इसी के बारे में पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दिया जा चुका है।

Next question.

प्रश्न संख्या २०८८

जयपुर जिले की तहसीलों के विकास कार्यों के लिये स्वीकृत रकम

श्री चांदमल मेहता—क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चांदमल मेहता]

(क) जयपुर जिले की किस किस तहसील के लिए इस वर्ष कितने कितने रुपये विकास कार्यों के लिए स्वीकृत किये गये हैं ?

(ख) उक्त रकम किस आधार पर स्वीकृत की गई है ?

(ग) क्या यह सही है कि सरवाड़ तहसील के लिए उसकी आबादी के अनुपात से कम स्वीकृत की गई है ?

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) इस वर्ष जयपुर जिले में स्थानीय विकास कार्यों की सहायता के लिए रु० ३, ५०, ००० स्वीकृत हुए हैं। इस रकम का अभी तक तहसीलवार वितरण नहीं हुआ है, हालांकि निम्नलिखित तहसीलों को उनके सामने अंकित की गई रकमें स्वीकृत की गई हैं :

१. जयपुर रु० २, ५००

२. बैराठ रु० १०,०००

३. किशनगढ रु० १, २००—१३७००

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चांदमल मेहता—तहसीलवार रकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में सरकार का विचार है या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूं तहसीलवार रकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा सकती लेकिन तहसीलों का ध्यान जरूर रखा जा सकता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में किशनगढ़ सब डिवीजन को इग्नोर किया जा रहा है ?

Page No.23

श्री जयनारायण व्यास—कहीं की तहसीलों को इग्नोर नहीं किया जा रहा है, यह आप विश्वास रखिये।

श्री चांदमल मेहता—किस किस तहसील के लिए कितनी कितनी रकम स्वीकार हुई है। पत्रों में जो समाचार निकले हैं क्या वे सही है?

श्री जयनारायण व्यास—तीन तहसीलों में १३ हजार की रकम स्वीकृत हुई है। दूसरी तहसीलों के नाम इसमें नहीं हैं इसलिए यह आरोप लगाया जा सकता है कि बाकी तहसीलों को इग्नोर कर दिया। किशनगढ़ का नाम तो इसमें दर्ज है।

श्री चांदमल मेहता—क्या ३ लाख के बजाय सिर्फ १३ हजार रुपये ही खर्च करके सरकार संतोष मानती है!

श्री जयनारायण व्यास—रकम स्वीकार करने के लिए भी एक तरह की पद्धति होती है। जगह जगह के कलेक्टरों से एडवाइजरी कमेटी की मार्फत सिफारिश मंगाई जाती है। उस सिफारिश को जांच के बाद मन्जूर किया जाता है। इसमें भी यह बात है कि वह सिफारिश पानी के लिए भी होनी चाहिये। यदि पानी के लिए कोई सिफारिश नहीं होती है तो उनको वापिस कहा जाता है कि अमुक रकम पानी के लिए खर्च करो। इस तरह पत्र-व्यवहार में देरी हो सकती है। १३ हजार की मन्जूरी हुई है तो उससे यह मन्शा नहीं है कि इतनी ही रकम मिले। एडवाइज़री कमेटी की राय के अनुसार काम होता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या बाकी रकम के लिए एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है?

श्री जयनारायण व्यास—जो रिपोर्ट आई है उस पर बराबर ध्यान रखा गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इसी वर्ष रकम खर्च हो सकती है?

श्री जयनारायण व्यास—अवश्य।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या नेशनल प्लान के अन्तर्गत दूसरी जगह कार्य नहीं चल रहा है?

श्री जयनारायण व्यास—कार्य चल रहा है। कार्य में जो रकम खर्च होती है उसको देख कर अन्दाजा लगाया जा सकता है।

श्री सोहनलाल भटनागर—जिन जिलों में कार्य चल रहा है उनमें से कोटा डिवीजन में तो केवल २५ हजार दिये गये हैं और जयपुर जिले के लिए १ लाख रुपये रखे गये हैं, यह क्यों है ?

श्री जयनारायण व्यास—जयपुर जिला कोटा डिवीजन से बड़ा है, यह जानना चाहिये।

प्रश्न संख्या २०८६

किशनगढ़ के तालाब गुडा सागर का जीर्णोद्धार

श्री चांदमल मेहता—क्या विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ में तालाब गदी सागर मरम्मत तलब है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त तालाब की मरम्मत के लिए पर्याप्त धन-राशि की स्वीकृति के लिए किशनगढ़ की जनता ने मांग की है ?

(ग) यदि हां, तो उक्त काम के लिए इस वर्ष कितनी रकम स्वीकृत की गई है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) इस नाम का कोई तालाब किशनगढ़ तहसील में सिंचाई विभाग में नहीं है।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

(ग) सवाल ही नहीं उठता।

श्री चान्दमल मेहता—यहां जो नाम छपा है वह गलत है। मैंने गूडा सागर के बारे में पूछा था। इसमें जो नाम छपा है वह गलत छपा है। इसमें छपा है गदा सागर, मैंने अपनी तरफ से गूडा सागर का नाम दिया था।

(हंसी)

श्री जयनारायण व्यास—यदि दुबारा प्रश्न पूछा जायगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा। जो नाम लिखा गया है उस तालाब की चर्चा मैं सदन में लाना पसन्द नहीं करता।

प्रश्न संख्या २०६०

रूपनगर तहसील में खेजड़ियों के चराने के लिए ठेके देना

श्री चांदमल मेहता—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री चांदमल मेहता]

(क) रूपनगर तहसील में पिछले २ वर्ष में खेजड़ियों के चराने के कितने ठेके दिये गये व इनमें से उन जमीनों के ऐसे कितने ठेके है जिनके पर्चे किसानों को मिल चुके हैं ?

(ख) चालू वर्ष में भी ऐसी जमीनों के ठेके कहां कहां दिये गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (प्रथक राजस्व मन्त्री)—(क) सं० २००९ में १३३ ठेके दिये गये ।

सं० २०१० में २६ ठेके दिये गये

(ख) कोई नहीं ।

(ग) कोई नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्रीजी के पास इस प्रकार की शिकायत आई है कि जिन जमीनों के पर्चे दिये जाते हैं उनके भी ठेके दिये जाते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या डिपार्टमेंट में ऐसी कोई शिकायत आई है ?

श्री अमृतलाल यादव—डिपार्टमेंट में आई होगी तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस सम्बन्ध में डिपार्टमेंट को स्पष्ट आदेश दिया जायगा कि इस प्रकार के ठेके नहीं दिये जावें ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार के ठेके नहीं दिये गये हैं। यदि दिये हैं तो आप नोटिस में लावें । आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

श्री चांदमल मेहता—जिन किसानों को जमीन के पर्चे दिये गये हैं उन्हीं की जमीन के ठेके दिये गये हैं। यही जानकारी मैंने आपको दी है।

श्री अमृतलाल यादव—इसकी जांच की जायगी ।

Page No.26

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री रघुराजसिंह (वि० सं० १२१) ने दिनांक ३–११–५४ से पूर्ण सत्र तक के लिए विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारी एवं सदस्य पारिश्रमिक] विधेयक, १९५४ के प्रथम एवं द्वितीय संशोधन सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Sir, I present the Report of the Select Committee on the Bill to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers' and Members' Emoluments) Act, 1952.

राजस्थान विधान सभा के अफसरों और सदस्यों के इमोल्युमेंट्स से सम्बन्धित जो कानून १९५२ में बना था उसको अमेंड करने के बिल पर प्रवर समिति की रिपोर्ट मैं उपस्थित कर रहा हूँ।

(विराम)

Sir, I beg to move that the application of Rule 136 (a) of the Rules of procedure and Conduct of Business in the Rajsthan Leglslative Assembly, in so far as it requires the copies of Select Committee Reports which have been presented to the House being made available for use of the Members for five clear days before the date on which the motion is made in this respect, be suspended in respect of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers' and Members' Emolnments) First and Second Amendment Bills, 1954.

श्री अध्यक्ष—ए. और बी. दोनों पेश कर दीजिये।

श्री जयनारायण व्यास—सिलेक्ट कमेटीज़ की रिपोर्ट्स दो हैं।

(विराम)

Sir, I present the Report of the Select Committee on the Bill further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers' and Members' Emoluments) Act, 1952." और इसके बाद यहां नियम १३६ जो नियमावली का है वह लागू न किया जाय।

श्री भोगीलाल पंड्या—Should I move for extension ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं यह अर्ज कर रहा था Rules of peocedure for the conduct of businiss है, उससे यदि हमें बरी करदें तो मैं इसे कंसीडरेशन के लिये रखूं, नहीं तो जब तक यह बंधन है तब तक इसे रखना ठीक नहीं रहेगा ।

श्री अध्यक्ष—कौनसा बंधन ?

श्री जयनारायण व्यास—५ दिन के बाद कंसीडरेशन के लिये आने का ।

श्री अध्यक्ष—पहले तो गौशाला बिल को ले लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष—The report of the Select Committee has been presented to this House and we come next after that.

राजस्थान गौ-शाला विधेयक, १९५४
(जन मत जानने हेतु प्रसारित)

श्री जयनारायण व्यास—What about the Emoluments Bill ?

रावत श्री शंभूसिंह—I want to speak on the Goshala Bill.

श्री अध्यक्ष—This is being referred to Select Gommittee and this has been agreed to by the Member-in-charge.

श्री जयनारायण व्यास—अच्छा असली बिल के पहले भूल मैं समझ गया ।

रावत श्री शम्भूसिंह—For eliciting public opinion.

श्री अध्यक्ष—किस बारे में, on this Bill ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I have agreed, but there is a motion for eliciting public opinion.

रावत श्री शंभूसिंह—माननीय अध्यक्ष, सदन में कल ही से गौशाला बिल पर वाद विवाद चल रहा है, इस सम्बन्ध मे मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं । वैसे तो गौशालाओं का उचित प्रबन्ध करने के वास्ते सरकार की ओर से बिल आना आवश्यक है पर कल मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ आपत्तियां उठाई थीं और इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये तथा पब्लिक ओपिनियन जानने के लिये सर्कुलेट करने के लिये भाषण दिये गये थे । यह जो बिल हमारे सामने आया है यह गौशालाओं का उचित प्रबन्ध करने के वास्ते ही यदि होता तो यह सही हो सकता था । परन्तु इसमें जो प्रोवीज़न्स हैं उनको देखने से विदित होता है कि सरकार

[रावत श्री शम्भूसिंह]

गौशालाओं में अनुचित हस्तक्षेप करना चाहती है और इस प्रकार के अनुचित हस्तक्षेप से अभी जो गौशालाओं को दान मिल रहा है अथवा जो गौशालाएं चलाई जा रही हैं, उनमें बाधा आना जरूरी है। माननीय अध्यक्ष, केवल हस्तक्षेप ही नहीं बल्कि गौशालाओं के प्रबन्ध के लिये जो दान या सहायता दी जाती है उसमें से भी पांच प्रतिशत सरकार लेना चाहती है। यदि सरकार की नीयत गौशालाओं का हित करना या गौशालाओं के प्रति सहायता देने की है तो सरकार को अपने खजाने से गौशालाओं को सहायता देनी चाहिये और इस प्रकार की सहायता देने के बाद ही सरकार इस प्रकार का हस्तक्षेप करने का दावा कर सकती है। परन्तु प्राइवेट पर्सन्स के पैसों से चलने वाली गौशालाओं में सरकार का इस प्रकार का हस्तक्षेप होना ठीक नहीं है। यदि इस प्रकार का हस्तक्षेप होगा तो संभावना है कि जो दानी सज्जन इस प्रकार गौशालाएं चला रहे हैं वे अपनी दानवीरता से पीछे हट जायं। इसमें यह प्रोवीजन है कि इसके लिये डाइरेक्टर नियुक्त होगा और सरकारी अधिकारी समय समय पर जांच-पड़ताल करेंगे। सरकारी अधिकारियों का इस समय तक जैसा रवैया रहा है और भ्रष्टाचार की जैसी प्रवृति चली हुई है उसको देखते हुए यह असंभव नहीं कि गौशालाओं के प्रबन्ध के नाम पर उन व्यक्तियों को जो गौशालाओं को चला रहे हैं उनको अनुचित रूप से हेरेस (परेशान) किया जावे और अनुचित फायदा उठाया जावे। इस प्रकार प्राइवेट परसन्स अपनी इच्छानुसार गौशालाएं चलाते हैं उनमें लूली, लंगड़ी और बूढ़ी सभी प्रकार की गौयें परवरिश पाती हैं। वे इस प्रकार से नहीं चलाई जातीं कि कोई सेल्फ सपोर्टेड हों और कोई डेरी का रूप ले लें। पर सरकार ने जो इस बिल में रूल्स बनाये हैं, उनसे मालूम होता है कि सरकार इन गौशालाओं के प्रबन्ध में जैसे चाहे नियम बना सकती है और इस तरह यह असंभव नहीं कि जिस प्रकार की अपाहिज गौयें इन गौशालाओं में अभी ली जाती हैं उस प्रकार की अपाहिज गायें न लेने के बारे में भी सरकार रूल्स बना सकती है या सरकार ऐसे रूल्स बना ले कि जिन उद्देश्यों को लेकर अभी गौशालाएं चलाई जाती हैं उन उद्देश्यों को ही वे रूल्स मिटाने वाले हों। इस प्रकार का हस्तक्षेप करना और मन-चाहे रूल्स बनाने का अधिकार सरकार के हाथों में होना, बिना गौशालाओं के अधिकारियों की राय लिये, उनकी इच्छा के विरूद्ध रूल्स बना लेना, यह अनुचित होगा। मालिक अपनी इच्छाओं के अनुसार अपनी अपनी गौशालाएं चला रहे हैं और रूल्स सरकार की इच्छा के अनुसार बनाये जायंगे। संभव है जिस प्रकार की गायें अभी इन गौशालाओं में दाखिल होती हैं वैसी दाखिल नहीं होने पावें और जिस प्रकार का प्रबन्ध गौशालाओं के मालिक करना चाहते हैं वैसा नहीं कर पावें। इस प्रकार के अधिकार सरकार के हाथों में ले लेना किसी प्रकार उचित नहीं। यह इस प्रकार के अधिकार सरकार द्वारा अपने हाथों में ले लेना गौशालाओं को एन्करेजमेंट देने वाला नहीं, बल्कि गौशालाओं की प्रगति में बाधा देने वाला होगा।

सरकार यदि वास्तव में गौशालाओं के प्रति हित को सोचती है तो सरकार को अपनी खुद की गौशालाएं खोलनी चाहिये और प्राइवेट परसन्स की ओर से जो गौशालाएं

[रावत श्री शम्भुसिंह]

खुली हुई हैं या जो गोशालाएं प्राइवेट परसन्स खोलते हैं उनके प्रबन्ध के सम्बन्ध में हस्तक्षेप करना छोड़ देना चाहिये।

इस तरह, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजना आवश्यक है। सिलेक्ट कमेटी में अगर इसे भेजा गया तो सिलेक्ट कमेटी में तो केवल वे ही व्यक्ति अपनी राय दे सकेंगे जो कि इसमें लिये जायेंगे। परन्तु जो गोशालाओं में रूचि रखते हैं वे लोग तभी अपनी राय दे सकेंगे जब कि इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिये सर्कुलेट किया जायगा।

इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजा जाय।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्ष, गौशाला...

श्री अध्यक्ष—Does it need long speeches ? सिलेक्ट कमेटी में भेज रहे हैं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्ष, मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। गौशाला का बिल सदन में रखा गया है और इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना तय किया वह ठीक है। लेकिन यह बिल गोशाला का, खास करके एक धर्मार्थ संस्था का बिल है और यहां पर लंगड़ी गायों की रक्षा होती है। इसलिये इस बिल को इस सदन में या सिलेक्ट कमेटी में देने से पहले जनता का मत ले लिया जावे तो मैं समझता हूं कि बहुत मुफीद होगा। गौशालाएं दान से ज्यादा चलती हैं और जो धर्मी सज्जन होते हैं अपने अपने गांवों में धर्मार्थ के रुपये गौशालाओं में देते हैं। मगर इस कानून के माफिक हर एक को अपना अपना बही खाता इन्सपेक्टर को दिखाना लाजमी हो जाता और इन्सपेक्टर देख सकता है, यदि वे डिफालटर हों तो, यानी यदि वे पैसा न दें तो। तो ऐसी हालत में दान देने वाले की प्रकृति बदल जावेगी और दान देने के लिये उनके दिल हट जावेंगे। ऐसी हालत में इसको पब्लिक ऑपीनियन के लिये, क्या क्या कायदे होने चाहिये, सर्कुलेट किया जावे तो अच्छा होगा क्योंकि रात दिन वे लोग गोशाला में काम करते हैं और उनको ज्यादा अनुभव होगा। इसलिये उनकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है और इस बिल में खास बात जो देखी गई है वह यह है कि जो दान से आमदनी आवेगी उसका पांच प्रतिशत स्टाफ पर खर्च होगा। होना तो यह चाहिये था कि सरकार उलटा गोशाला को एड करती लेकिन होगा यह कि उस दान में से पांच प्रतिशत लेकर खर्च चलावेगी। ऐसी हालत में इन गोशालाओं को चलाने के लिये जो लोग इसको चला रहे हैं उनकी राय ली जावे और इसको पब्लिक ऑपीनियन के लिये प्रस्तुत किया जावे। यह मैं माननीय अध्यक्ष, आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से अर्ज करूंगा कि यह बिल धर्मार्थ के विषय का है, इसलिये इसको पब्लिक ऑपीनियन के लिये भेज दिया जाना चाहिये। सिलेक्ट कमेटी के लिये तो

[श्री संतप्रसाद कछवाहा]

अभी समय दूर है और जब तक वह सिलेक्ट कमेटी से आवेगा पब्लिक ऑपीनियन भी आसानी से आ सकती है। मैं आशा करता हूं कि इसको जनता की राय के लिये भेजा जावे।

श्री कपीलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष, गोशाला के लिये जो बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसे ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूं कि यह गोशाला बिल नहीं है बल्कि गोशाला डेवलपमेंट ऑफिसर बिल है। जहां कहीं देखा गया है उससे यही प्रतीत होता है। अब तक की हमारी गोशालाएं ज्यादातर दान पर चलती हैं और कुछ लोग शादी विवाह के अवसर पर और कुछ लोग दान में चन्दा और कुछ लोग धर्मादे या चन्दे के रूप देते हैं। आज हम एक बिल ऐसा ला रहे हैं और उसका मुख्य आशय यह है कि कोई शख्स पैसा देता है और नहीं दिया हो तो उस रकम को उसकी बकाया की तरह वसूल किया जावेगा। उसको देने में अगर देर होती है या नहीं देता है तो उसको बकाया की तरह वसूल करते हैं। अगर वह पैसा नहीं देगा तो प्रोसीक्यूट किया जावेगा। इसके अलावा जो गौशालायें दान से चलती हैं उनको कुछ प्रतिशत रुपया स्टाफ के लिये देना होगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह कहूंगा कि गोशाला को मदद करनी चाहिये, न कि उस पर कोई एडीश्नल टेक्सेशन हो।

इतना ही नहीं जब कोई भी लिमिटेड कन्सर्न होती है और उसमें सरकार का ५० प्रतिशत पैसा या इससे भी ज्यादा शेअर होता है तो दो तीन डाइरेक्टर तो दूसरों के होते ही हैं। लेकिन गौशाला के बिल को देखने से मालूम होता है कि जिन लोगों का पैसा है, गायों के लिये भीख मांग कर पैसा लाते हैं और गायों का गुजारा चलाते हैं और गोशाला की मदद करते हैं उनको इसमें कोई अधिकार नहीं दिये दिखाई देते हैं। सारे अधिकार गोशाला डेवलपमेंट ऑफिसर को दे दिये गये हैं। आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसमें व्यवस्था की गई है कि फेडरेशन कायम किया जावेगा, डेवलपमेंट ऑफिसर मुकर्रर होगा। जो कुछ कार्य वहां पर होगा वह उसके डाइरेक्शन से होगा। तो क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इसका क्या मतलब है ?

गौशाला के ट्रस्टीज़ की एक कमेटी बनाई जाती है। वे क्या काम करेंगे ? वे चन्दा लावेंगे, लोगों से मांगेगे, लेकिन उनको यह भी अधिकार नहीं होगा कि एक नौकर जो गायों को चारा समय पर नहीं डालता, उनका दूध नहीं निकलता उस पर जुर्माना कर सके, वे उसको हटा नहीं सकते। उसके लिये उनको गोशाला डेवलपमेंट ऑफिसर को लिखना पड़ेगा; चाहे वह १५ दिन का नौकर भी हो वह सही काम नहीं कर सकता हो। इसके अलावा जब उनको लिखा जावेगा तो उनकी मर्जी होगी तो वे उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसी हालत में ट्रस्टी रहने के लिये पसन्द करेगा ? क्या जरूरत है गोशाला कमेटी की ? इसलिये मैं यह कहूंगा कि ऐसी स्थिति में गोशाला का अहित ही होगा, गोशाला का कोई फायदा नहीं होगा।

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

ऐसा करके हम गौशालाओं का कोई हित नहीं करते हैं। होना ऐसा चाहिये था, सरकार को यह करना चाहिये था कि वह गौशालाओं के हिसाब-किताब की जांच पड़ताल करने के लिये एक किस्म की कोई व्यवस्था ऐसी बना दे ताकि धन का दुरूपयोग नहीं हो सके, हिसाब अच्छी तरह से ओडिट हो जावे। सरकार एक ओर्गेनाइजेशन या गाइड के रूप में सुविधा देने के लिये प्रबन्ध कर दे, सांडों का प्रबन्ध कर दे, रुपयों की मदद दे दे, महात्मा गांधी के सिद्धान्त पर गौशाला चलाने में सरकार मदद करे। सारे बिल को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि सरकार सारा इन्तजाम अपने हाथ में लेना चाहती है और गौशाला वालों को कुछ भी सुविधा नहीं देना चाहती। सरकार को यह चाहिये था कि वह ऐसा प्रबन्ध करती और कहती कि गौशालायें जितना रुपया एकत्रित करेंगी उतना ही सरकार देगी। जिस प्रकार म्युनिसिपेलिटी और पंचायत आदि संस्थाओं को सरकार रुपया देती है उसी प्रकार गौशालाओं को भी देती। ऐसा तो कोई फायदा नहीं दिया गया है। ऐसा किया गया है कि जो लोग दान देते हैं, सहानुभूति रखते हैं, उनके आगे इस प्रकार की रुकावट लगा दी जाय कि वे आगे हिम्मत न कर सकें।

ऐसी सूरत में मैं यह कहूंगा कि माननीय मन्त्री इस पर फिर से विचार करें और इसको पब्लिक ओपीनियम के लिये जनता के सामने रखें। बहुत से गौशालायें चलाने वालों से मेरी मुलाकात हुई। उनका यह दावा है कि यह बिल ऐसा है जो गौशालाओं का कोई भला नहीं करने वाला है। वे इससे संतुष्ट नहीं हैं। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वे फिर से इसको री-कन्सीडर करें और अगर वे जरूरी समझें तो इसे पब्लिक ओपीनियन के लिय सर्कुलेट करें ताकि गौशालाएं चलाने वालों को ओपीनियन और दूसरे आदमियों की राय भी जान सकें। उसके बाद अगर बिल सिलेक्ट कमेटी के पास रेफर कर दिया जावे तो कोई खास आपत्ति नहीं। लेकिन चूंकि पब्लिक की राय जानना बहुत जरूरी है तो इसका प्रबन्ध कर दिया जाना चाहिये; चाहे यह सिलेक्ट कमेटी के मार्फत हो, चाहे पब्लिक ओपीनियन सीधी सरकार द्वारा जानी जावे। लेकिन कम से कम इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट किया जाना चाहिये ताकि लोगों को मौका मिले और जो लोग गौशालायें चला रहे हैं उनको भी मौका मिले। इस बात पर कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ और ही भावनायें व्यक्त की हैं। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि जो गो-हत्या का प्रवृत्ति है देश में वह इस बिल की भूमिका या पृष्ठभूमि के रूप में दिखाई देती है।

मैं तो यही समझता हूं कि जिन साहब ने यह बात कही है या तो वे इस कानून से बिल्कुल ही परिचित नहीं हैं या जानबूझ कर कोई स्टन्ट खड़ा करना चाहते हैं, या जो इलेक्शन के वक्त नारे लगाये गये थे दुबारा जनता के सामने यह कहना चाहते हैं कि सरकार ऐसा बिल लाती है जिससे कि गौ हत्या हो। राजस्थान में गौ हत्या बन्द है और यहां गौ हत्या करना सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है। यदि कोई सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है तो गो हत्या के बराबर ही है। तो इस प्रकार कहना केवल

(श्री कपिलदेव अग्रवाल)

एक उल्टी भावना की दृष्टि से ही कहना है। इसमें जो गलतियां हों, खामियां हो, उन खामियों को, मैं जहां तकसमझता हूं, माननीय राजस्वमन्त्रीजी हर वक्त दूर करने के लिए तैयार रहते हैं, किन्तु इस तरह की गलत नतीजा निकालने वाली भावना व्यक्त करना मैं समझता हूं कि कोई अच्छी बात नहीं है और हमें ऊंचा उठाने वाली भी बात नहीं है।

इसके साथ ही साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो बिल हमारे सामने है वह सिद्धान्तों के अनुरूप भी नहीं है और एक मात्र इसमें गोशाला डेवलेप्मेंट ऑफिसर को अधिकार दे दिया गया है और जो लोग अब तक गौशालाओं को चलाते आये हैं उनके लिए उसमें कोई अधिकार नहीं हैं। जो लोग दानपूर्वक रूपया दे उनको क्यों मजबूर किया जाय, उनसे जिस तरह से सरकारी बकाया वसूल की जाती है उसी तरह से क्यों वसूल किया जाय? इसका नतीजा यह होगा कि लोग परेशान होकर दान देना बन्द कर देंगे। पांच रुपया की सैंकडा प्रत्येक शादी में जब पेहरावनी वगैरह लेते देतेहैं तो गौशाला के लिए उसमें से लिया जाता है, यह हमारे यहां रिवाज सा है। अगर इस तरह सरकार बकाया की तरह रुपया उनसे वसूल करेगी तो लोग-बाग रुपया लेना ही इस तरह बन्द कर देंगे। उनका बही खाता देखा जाय, उनके साथ जबरदस्ती की जावेगी तो वे लोग इस तरह से धर्मादा और कांटा लेना बन्द कर देंगे और जिस भावना से यह बिल रखा गया है वह भावना कभी भी पूरी नहीं होगी। अतः मैं माननीय राजस्व मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल को पब्लिक ऑपिनियन के लिए सर्कुलेट किये जाने के लिए कोई आनाकानी नहीं करें। यह पब्लिक के फायदे के लिए है और इसको पब्लिक ऑपिनियन के लिए सर्कुलेट किये जाने से वे अपनी और अच्छी राय दे सकेंगे कि यह ठीक है और यह ठीक नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में इसको सर्कुलेट कर दिया जाना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, इस बिल के सम्बन्ध में मैं समझता हूँ कि जरूरत से ज्यादा चर्चा हो गई है और यह बिल जो यहां पर लाया गया है उसमें राजस्थान सरकार के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बिहार के अन्दर जो गोशाला डेवलप्मेंट बिल है उसी के आधार पर इस बिल को यहां लाया गया है और इसमें मैं मान सकता हूं कि बहुत सी बातें कही गई हैं, उनमें से कोई तरमीम करने की आवश्यकताएं हों, वे तरमीम की जांय उसके लिए मुझे कोई एतराज नहीं है; वे की जानी चाहिये। जो भावना इस सारी चीज के पीछे बताने की कोशिश की गई है और खास तौर पर एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो गो-हत्या की देश में प्रवृत्ति है वह इस बिल की भूमिका या पृष्ठभूमि के रूप में सामने दिखती हैं। मैं समझता हूँ कि देश में गो हत्या के नाम पर चर्चा करने की जो प्रवृत्ति है वह इस बिल में बहस के वक्त कही गई है तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि इसको सिलेक्ट कमेटी या पब्लिक ओपीनियन के लिए रेफर कर दिया जाय और इस स्टेज पर उस चर्चा के करने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। लेकिन वह सार्वजनिक भाषण के रूप में वह चीज बनी और कहा यह गया तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

कि सरकार टैक्स या जो अपना दान देते हैं उन पर ऐसी बन्दिश लगाने का इरादा रखती है और जिससे दान न आवे तो आप केवल इस वक्त इस निगाह से उसको न देखकर और निगाह से भी देखें, जिसके लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कई स्थान मेरी जानकारी में आये हैं जहां से किसानों से जैसे कपास की गाड़ी आती है या और कोई चीज आती है, उस पर गोशाला के टैक्स के नाम पर व्योपारी लोग वसूल करते हैं और उनसे वसूल करने के बाद उस दान को कई प्रकार से या इस तरह से व्यक्तिगत धमादे के कार्य होते हैं उनमें तक खर्च किया जाता है और बहुत सी तरह से वह खर्च किया जाता है और जो गोशाला तक नहीं पहुँचता है। तो ऐसे भी कई उदाहरण हैं। केवल यह मान लेना कि इससे लोगों को फायदा नहीं करते हैं ऐसी बात नहीं है। मैंने गोशाला के सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी रखने वालों से, जैसे गौ सेवा संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी और उस बातचीत के दौरान में उनकी कई शिकायतें इस सम्बन्ध में थी। किन्तु मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने इस सारे के सारे बिल को पसन्द किया। मैंने उन लोगों से कहा कि वे अपने अमेंडमेंट दे सकते हैं। सिलेक्ट कमेटी में भी गोशाला के प्रतिनिधि आकर कह सकते हैं, जैसा कि भूदान बिल के सम्बन्ध में सिलेक्ट कमेटी में हमने किया था। भूदान के सम्बन्ध में जो कुछ उनको कहना था उन्होंने भूदान समिति के सामने अपनी सारी चीजें रखीं। तो ऐसा इसमें भी हो सकता है। लेकिन यह सोच कर चलना कि यह तो आफिसर्स के डेवलप्मेंट के लिये है या आमद के लिये नये जरिये के रूप में यह बिल लाया गया है तो यह मैं समझता हूं कि गलत है। जिस प्रकार की बातें हुई हैं इसलिये मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि इस बिल को पब्लिक आपिनियन के लिए सर्कुलेट कर दिया जाय। यह गोशाला के डेवलप्मेंट के लिए टैक्स का सवाल नहीं है। (करतल-ध्वनि) सिद्धान्त की भी बात कही गई और कहा गया कि सिद्धान्त यह कहता है कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जो कि राजस्थान की दृष्टि से मान्य न हो। मैं आपसे अर्ज करूं कि सरकार की आमद का यह बिल नहीं है। इस प्रकार की चर्चाएं होने से गलत फहमी पैदा हो सकती है जो कि मैं समझता हूँ उचित नहीं है। इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी के बजाय पब्लिक ओपिनियन के लिए सर्कुलेट कर दिया जाय। लेकिन फिर तीन महीने से अधिक उसकी अवधि नहीं होनी चाहिए जिससे कि अगले सेशन में सिलेक्ट कमेटी से पास होने पर उसको पास करने के लिये और जो भी पब्लिक ओपिनियन आये उसके लिए हम अगले सेशन में तैयार रहेंगे, ताकि ड्यूरिंग दी सेशन हम इस पर विचार करें और इसको पास कर सकें। इससे अधिक समय नहीं लगाया जाय। यह चाहते हुए मैं और चर्चाओं में नहीं पड़ना चाहता जैसे कइयों ने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसा करता था। वह संस्थाओं को एड देता है, वैसी बातें इसमें नहीं आयीं। मैं समझता हूं कि संस्थाओं को जो एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा एड दी जाती है उसके सम्बन्ध में हाउस में कोई बिल नहीं आया कि जिसके आधार पर कोई एड दी जाती हो, एड देना एक अलग सा सवाल है और जो एक्जीक्युटिव तरीके से सोचा जाता है। इस बिल के जरिये जो रेगुलेशन करनी चाहिए वह एक अलग सवाल है। दोनों को मिक्स अप नहीं किया जाना चाहिए।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

एक माननीय सदस्य ने इनकम टेक्स की बात कह दी। इसमें कैसे बात कह सकते हैं, यह विचार करने की बात थी। उसका दायरा अलग है जहां कि उसका हो सकता है।

('कुछ क्या हो, कह दिया सो कह दिया' ऐसी आवाज)

कुछ आपने कह दिया और कुछ आपने कह दिया।

मैं यह कह रहा था कि इन सारी बातों को देखते हुए मैं यह चाहता हूँ कि जो मोशन पब्लिक ऑपिनियन के लिये सर्कुलेट करने का रखा गया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ और आशा है अगले सेशन के प्रारम्भ तक इस विषय में पब्लिक की राय जान ली जायगी। इसके अलावा जो दूसरे मोशन हैं वे वापिस ले लिये जायेंगे।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया था, उसे मैं वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री तनसिंह—मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री चांदमल मेहता—मेरा तो कोई प्रस्ताव नहीं था, मैंने तो उनके प्रस्ताव का समर्थन मात्र किया था।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने रखा है :

"That the bill be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon by the first day of the commencement of the next session of the Rajasthan legislative Assembly;" इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

जन सम्मति जानने हेतु भेजे जाने का विधेयक प्रस्ताव मंजूर किया गया।

राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारी एवं सदस्य पारिश्रमिक) विधेयक, १९५२ के दो संशोधन विधेयकों के सम्बन्ध में नियम १३६ (ए)का स्थगन

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—Sir I beg to move that the application of Rule 136 (a) of the Rules of Procedure and Conduct of Businees in the Rajasthan Legislative Assembly in so far as it requires that copies. of the Select committee Reports which have been presented to the House shall be made available for the use of Members for five clear days before the day on which the motion is made under this Rule, be suspended in respect of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments[:First and Secand Amendment Bills, 1954.

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Is there any objection to it ?

माननीय सदस्य—No.

श्री अध्यक्ष—Then I suspend the Rule by dint of power vested in me under Rule 116. Rule 136 [a] is suspended.

राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारी एवं सदस्य पारिश्रमिक) संशोधन विधेयक, १९५४

(विचार विमर्श एवं पारित)

श्री जयनारायण व्यास—Sir. I beg to move that the Bills be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—हिन्दी में बोलिये।

श्री जयनारायण व्यास—मैं हिन्दी में ही बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक है इसमें राजस्थान विधान सभा के पदाधिकारियों तथा सदस्यों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के बारे में कुछ बातों की कमी रह गई थी इसलिये इस बिल को रखने की जरूरत हुई है। पार्लियामेंट और दूसरी प्रान्तीय विधान सभाओं के मुकाबले यहां कुछ असुविधायें हैं, कुछ खामियां है, कुछ बातें स्पष्ट नहीं है या कुछ बातें जो अस्पष्ट थीं उनको स्पष्ट कर दिया जाय, जो खामियां हों उनको दूर किया जाय, जो असुविधायें हो वे हटाई जायं, इस उद्देश्य से यह बिल रखा गया है।

[श्री जयनारायण व्यास]

जहां तक स्पीकर से ताल्लुक है वैसे उनका ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेन्स में ऊंचा स्थान है। जहां तक उनके दैनिक भत्ते और सफर भते का सवाल है या अन्य दूसरी बातों से ताल्लुक है उनकी और मंत्रियों की समानता है। इसी प्रकार मेम्बर्स को दो तीन बातों की असुविधा थी। एक तो यह कि किसी दिन सुबह जब आठ बजे या साढे आठ बजे मीटिंग करनी हो तो मेम्बर्स जैसे कल पहले आ गये तो मौजूदा रूल्स के अनुसार उनको कल का डी. ए. नहीं मिलेगा। दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा। इसलिए आमतौर से ऐसा करना पड़ता है कि असेम्बली की बैठक शाम को बुलानी पड़ती है। पार्लियामेंट में और कई जगह ऐसे नियम हैं कि वे दो दिन पहले आ सकते हैं इसलिए अब हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि कुछ मकानात यहां बन जायें ताकि मेम्बर्स अपने कुटुम्ब के साथ रह सकें। इसीलिए हम दो दिन पहले आने का भता भी देने की सोच रहे हैं ताकि दो दिन पहले आजायें और अपने खाने-पीने का इन्तजाम कर सकें और एजेन्डा आदि है उस पर भी विचार कर सकें। इसलिए दो दिन पहले जब से विधान सभा मिल रही हो भता दिया जायगा ताकि वे दो दिन में मकान की व्यवस्था कर सकें, सामान की व्यवस्था कर सकें और अपनी गृहस्थी जमा सकें, और इसके साथ साथ असेम्बली में विचार विनिमय के जितने भी कागजात हों उनको ठीक तरह से व्यवस्था कर सकें और अध्ययन कर सकें, जो वे यहां बैठकर ही आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार जाते वक्त भी दो दिन बाद का भत्ता मिलने की सुविधा होनी चाहिये; यह अवश्यक बात हैं। यह सुविधायें दूसरी जगह है। यदि हमारे यहां ये सुविधायें नहीं रहती हैं तो उचित नहीं मालूम पड़ता।

दूसरी बात इन्टेरिम जरनी (interim journey) के संबन्ध में है। हम विधान सभा के सदस्य हैं, इसलिये हमारा कर्तव्य है कि विधान सभा के साथ साथ हमारे निर्वाचन क्षेत्र की हालत की जानकारी भी हमे रखनी पड़तो है। मानलीजिये यहां का सेशन चल रहा हो और किसी विधान सभा के सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में आग लग गई या कहीं पर फायरिंग हो गया। यह ठीक है कि उनका रहना यहां जरूरी है। किन्तु इसके साथ साथ अपने क्षेत्र में भी उनके लिये जाना जरूरी है। यह हो सकता है कि सार्वजनिक हित में जाना हो सकता है और व्यक्तिगत हित में भी जाना होता है तो फिर उनको न तो यहां का दैनिक भता मिलता है और न आने-जाने का भता ही मिलता है। मौजूदा रूल्स के मुताबिक। सार्वजनिक हित का काम करने भी जायगा और अपनी जेब से खोकर भी आयगा, यह व्यवस्था ठीक नहीं हैं, दूसरी जगह ऐसी व्यवस्था है कि सेशन के बीच में यदि कोई कहीं जाय तो उसको आने जाने का जैसा भी नियम है उनके अनुसार भत्ता मिलता है, चाहे वह एक दिन के लिये जाय तो। अगर आने जाने का खर्चा ज्यादा हो जाता है तो दैनिक भत्ता मिल जाय तो भी राहत मिल सकती हैं, ताकि विधान सभा का भी किसी प्रकार नुकसान न हो और जो उनका खर्च होता है वह भी उनको मिल जायगा। इसीलिये इसमें आवश्यक फेरफार किया गया हैं। इसके अलावा और भी कुछ बाते हैं। वे अब रुल्स बनेंगे तब रूल्स के आधीन वे साफ की जा सकती हैं। इस प्रकार दो-तीन बातें जैसे स्पीकर के सम्बन्ध में, खास इन्टरिम जरनी,

[श्री जयनारायण व्यास]

के सम्बन्ध में और दो दिन के भते के सम्बन्ध में, ये खास बातें हैं जिनकी ओर आपका खास तौर से ध्यान आर्षित करना चाहता हूं।

स्पीकर के संबन्ध में, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया। केवल ट्रेवलिंग अलाउन्स के बारे में ही है पहले हमें फर्स्ट क्लास में ट्रेवलिंग करने की इजाजत थी ...

श्री हंसराज आर्य—माननीय अध्यक्ष, लोबीज़ से आवाज़ जोर से आ रही है इसलिये सुनाई नही देता।

श्री जयनारायण व्यास—मेरी आवाज तो धीमी नहीं है।

अब फर्स्ट कलास रेल्वे से एबोलिश कर दिया गया है, इसलिये फर्स्ट क्लास के ऑफिसर को जो मिलता है उसी प्रकार मिनिस्टरों और मेम्बरों को भी मिल जायगा, यह एक सीधी बात है।

हमारी विधान सभा मिले उससे दो दिन पहले का भता इसलिये मिलना आवश्यक है कि जो मेम्बर आवें वे अपनी घर गृहस्थी जमा लें और यहां पर जो बहस करने के लिए विषय और कार्यक्रम हो उनका भी अध्ययन कर लें, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट या विधान सम्बन्धी दूसरी चीजें जो हैं उनको भी अच्छी तरह से देख लें, उनका अध्ययन कर सकें, इसका उन्हें मौका मिल सके। इस तरह से दो दिन पहले का और दो दिन बाद का भता मिलना चाहिये ताकि यहां की असेम्बली को उनकी अच्छी से अच्छी राय पाने का पूरा अवसर मिल सके।

और साथ ही साथ, इन्टेरिम जरनी जिसको कहते हैं, बीच में काम काज की वजह से कभी जाना पड़ जावे, कभी कभी बहुत आवश्यक काम से जाना पड़ जाता है, तो इसके लिए भी सदस्य को आने जाने का खर्चा मिल जावे या जितने दिन यहां रहे उसका दैनिक भता मिल जावे और इनमें से जो भी कम हो वह मिल सकेगा ताकि आने-जाने की भी सुविधा हो जावे और साथ के साथ अपने विचारों को अच्छी तरह से सोच सकें और बातचीत जो सदन में माननीय सदस्य करें अच्छे ढंग से वह कर सकें ऐसी सुविधाएं हों, इस तरह की छोटी छोटी बातों की व्यवस्था इसमें की गई है। इस तरह से यह बिल सदस्यों को कुछ अधिक ही सुविधाएं देगा। इसलिये मैं सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इसमें बहस की बातें न हों, तो इसको जल्दी ही स्वीकार कर लिया जावे एक मत से।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्षजी,....

श्री जयनारायण व्यास—एक बात अर्ज करना भूल गया। यह बिल ऐसा ही जैसा था रक्खा गया है केवल रूल्स में चैन्जेज़ किये गये हैं और इनके लिए सिफारिश की

[श्री जयनारायण व्यास]

गई है कि ये मान लिये जावें। पर इससे क्या असर होंगे, यह मैंने अपनी बात में बता दिया है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो रूल्स में चेन्ज किये हैं उनके बारे में मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि स्पीकर साहब या और दूसरे जो असेम्बली के सरकारी आदमी हैं वे उनको नहीं मानते हैं। पर जो साधारण मेम्बर हैं उनके बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि ये मेम्बर जो यहां विधान सभा में कानून बनाते हैं वह यहां की डेढ करोड़ जनता पर लागू होते हैं परन्तु मुझे आप यह कहने के लिए माफ करें कि इन्हीं कानूनों को ये सदस्य तोड़ते हैं। वह कैसे ? यह मैं आपको बताता हूँ। वे आज सैकंड क्लास का किराया तो लेते हैं पर थर्ड क्लास में आते हैं।

और दो दिन आगे पीछे का जो यहां पर भता देने की बात चल रही है उसके बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो यहां परमानेन्टली रहते हैं, परमानेन्ट डाक जिनकी आती जाती है वे फिर भी दो दिन का आगे-पीछे का भता वसूल कर लेंगे। दो दिन पहले का और दो दिन बाद का, इस तरह से चार दिन का भता यों ही वसूल कर लेंगे। इस तरह से जो खुद प्रिन्सिपल पर नहीं चलते वे दूसरी जनता को क्या कहेंगे ?

कहते हैं कि राजस्थान का फाइनेन्शियल बजट तो डेफीसिट है और इधर ये माननीय सदस्य दिन पर दिन अपना भता बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। कहां तो यह होना चाहिये कि जो तनखा वे आज पाते हैं इस आर्थिक हालत को देखते हुए उसमें भी कमी करनी चाहिये थी और १५०) रुपया महीना ही लेना चाहिये था और कहां इसके विपरीत दिन-दिन अपना भता बढाने की बातें करते हैं। साढ़े बारह रुपया रोज की जगह दस रुपया करना चाहिये। इसी तरह और भी कई जगह है, यू. पी. में है और जगह है। तो उल्टा कम करने की बजाय ज्यादा किया जा रहा है।

श्री कपिलदेव—तुम मत लेना। अपना कम करालो।

(अन्य सदस्यों द्वारा भी व्यवधान)

श्री मुक्तिलालमोदी—अध्यक्ष महोदय, देखिये साहब, (सदस्यों को सम्बोधित करते हुए) बीच में नहीं बोलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप बोलिगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—तो ऐसी हालत में यह जो बीच का आने जाने का भत्ता और रख दिया गया है इसका भी बड़ा दुरुपयोग ही होगा। किसी को सार्वजनिक काम हो जावे, चुनाव का काम हो जावे, अपना निजी काम हो जावे, या और चीज़ हो जावे तो यह तो एक बहाना मात्र होगा और यह हजारों काम होंगे और भत्ता सरकार से लेंगे। दुनिया भरके इलेक्शन लड़े जावेंगे और इनमें यह चीज़ होगी कि यह सार्वजनिक काम था, इसके लिए में छुट्टी गया और फिर असेम्बली से टी. ए. डी. ए. बना लेगा। और किसी के घर काम हुआ तो उसमें भी वह लागू हो जावेगा। इस तरह सभी अपने निजी घरू काम के लिए जावेंगे और भत्ता बनावेंगे।

श्री जयनारायण व्यास—बाल बच्चों को अपने देखने जावे तो इजाजत है इसकी इसमें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—तो ऐसी हालत में भले ही मेरी बातों पर नाराज हो।

कुछ माननीय सदस्यगण—नाराज कोई नहीं है। श्री मुक्तिलाल मोदी और इस बात पर कोई यह भी कहे कि इस तरह क्यों कहते हो इसके लिए मेरी आत्मा में जो जचती है और जो दिल में ठीक समझता हूँ वह आप लोगों के सामने कह देता हूँ। आप जनता के प्रतिनिधि बनकर आये है और जनता के लिए जो जो कानून आप यहां असेम्बली में पास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता उनका पालन करे तो जब तक आप खुद उन कानूनों का पालन नहीं करते और खुद त्याग की भावना नहीं अपनाते तब तक आप कुछ आशा नहीं कर सकते।

श्री जवानसिंह—त्याग की भावना नहीं अपनाने की कोई मिसाल तो पेश करें आप ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—मिसाल एक क्या, कई बता सकता हूँ। फाइलों की फाइलें बता दूं आप को कहिये कौन चाहता है ? आप इन बातों को रहने दीजिये। माफ करिये। इसमें कुछ रक्खा नहीं है, कोरी बातों में।

तो ऐसी हालत में दो दिन पहले का और दो दिन बाद का भत्ता इस नियम में रहे, इसके मैं तो पक्ष में नहीं हूं।

श्री भैरूसिंह (वि० स०१६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ है और इसके बारे में जो सिलेक्ट कमेटी की ओर से रिपोर्ट पेश हुई है उस रिपोर्ट में रूल्स में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की सिफारिश की गई है।

माननीय अध्यक्ष, यह बात आज सोची जा रही है कि विधान सभा के किसी भी अधिवेशन के लिये जब कोई भी माननीय सदस्य अपने घर से चलकर यहां पहुंचे तो उनको किस तारीख से दैनिक भत्ता दिया जावे। अब इसमें दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो यह कि जिस तारीख से विधान सभा का अधिवेशन प्रारम्भ हो उस तारीख से उनको भत्ता दिया जावे

[श्री भैरोंसिंह]

या जिस तारीख को जिस समय उन्होंने अपना घर छोड़ा विधान सभा के अधिवेशन में हाजिर होने के लिए, उस तारीख से दिया जावे। यदि इस दृष्टिकोण से यह दो दिन का समय निर्धारित किया गया होता तो उचित था। मैं समझता हूँ कि सिलेक्ट कमेटी में सदस्यों के प्रिविलेजेज़ के पार्लियामेंट में रूल्स हैं। इस सम्बन्ध में उनके ऊपर विचार किया गया होगा और शायद उन्हीं के आधार पर यह दो दिन का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन पार्लियामेंट में जितने भी सदस्य आते हैं उनको दूर दूर के प्रान्तों से आना पड़ता है और भिन्न २ प्रान्तों से आना पड़ता है। इसमें मुमकिन है कि जो ज्यादा से ज्यादा समय उनको यहां तक आने में लग सकता है वह दो दिन का समय हो और इसलिये दो दिन या तीन दिन का समय उनके लिए निर्धारित किया गया है। लेकिन राजस्थान में तो ऐसे भी कई सदस्य हैं जिनको अधिवेशन में आने जाने में एक घंटे का समय लगता है और कुछ ऐसे भी हैं जो ज्यादा से ज्यादा समय अगर लगावें तो एक दिन का और एक रात का समय पर्याप्त है उनके लिए। इस सूरत में यदि महज इस कारण से कि आज तक जो सदस्यों को फर्स्ट क्लास का किराया मिलता था और उससे जितनी आमदनी होती थी उसको सैकंड क्लास का किराया देने के साथ आज हमें किस तरह से एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के लिए और उतनी ही आमदनी उनको करानी है तो मैं इसका घोर विरोध करता हूं। इस तरह से एडजस्ट करने की मनोवृत्ति इस सदन के सदस्यों के लिए कभी शोभनीय नहीं है। अगर आपका दृष्टिकोण यह होता कि हमें टी. ए. डी. ए. इस तरह से शुरू करना है कि जिस तारीख से भाग लेने के लिए असेम्बली में वे घर से रवाना होते हैं तो यह दृष्टिकोण उचित हो सकता है। पर फर्स्ट क्लास के बजाय सेकंड क्लास का जो किराया मिलने लगा है उससे होने वाले घाटे की पूर्ति कराने के इरादे से यदि यह एडजस्टमेंट की कार्यवाही हो रही है तो यह उचित नहीं होगा और मैं जहां तक माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के भाषण से समझ पाया हूं और इस पर बाद में सदन में चर्चाएं हुई हैं उससे मैं यही समझ पाया हूं कि यह एडजस्टमेंट के लिए ही किया जा रहा है। ऐसी सूरत में मैं यही निवेदन करूंगा कि ऐसे किसी भी कानून का यह सदन स्वागत नहीं करे। इससे बचने के लिए, इस सम्बन्ध में लोग जो आलोचना करेंगे उससे बचने के लिए, मेरा यह सुझाव है कि जिस तारीख से माननीय सदस्य असेम्बली की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपने घर से रवाना हों उस समय से, उस तारीख से उसे टी० ए०, डी० ए० लेने की इजाजत दे दी जावे।

इस प्रकार का आश्वासन अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी दे देते हैं कि इस प्रकार का जो संशोधन नियमों में होने जा रहा है वह हटा दिया जावेगा तो मैं इसका विरोध नहीं करूंगा, नहीं तो इस एडजस्टमेंट को पूरा करने के दृष्टिकोण से तो मेरा विरोध है।

श्री तेजमल बापना—अध्यक्ष महोदय, यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है और सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी सदन के सामने प्रस्तुत की गई है। मैं भी उस सिलेक्ट कमेटी का एक सदस्य था और इसी नाते जो मेरे पूर्व वक्ता ने आरोप लगाये हैं कि हमारा यह मकसद है कि पैसा

[श्री तेजमल बापना]

पूरा करें तो मैं उस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि यह किसी सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर के ध्यान में अभी तक नहीं आया था कि दरअसल में जो फर्स्ट क्लास का किराया सेकन्ड क्लास का हो गया है उसकी किसी प्रकार से पूर्ति की जाय । जहां तक इस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट का सम्बन्ध है सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों ने पार्लियामेंट के जो नियम हैं उनको और उनके साथ साथ जो विधान सभाएं हैं दूसरे प्रान्तों में उनको भी ध्यान में रखा है, और उनको ध्यान में रखकर यह अपनी रिपोर्ट में बतलाया है कि दरअसल में हम बहुत सी दफा इस बात का अनुभव करते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट बिल सत्र के शुरु होने पर लिया जाने वाला है और उसका अध्ययन करना है तो यहां पर बहुत से सदस्य तो राजकीय प्रवास भवन में रहने वाले हैं, और बहुत से अलग प्राईवेट मकान लेकर रहते हैं, वह दो दिन पहले यहां जयपुर में आकर अपने निवास की व्यवस्था कर सकें और साथ ही साथ सत्र के प्रारम्भ में जो विधेयक हों उनकी स्टडी कर सकें। इसमें यह जरूर महसूस किया गया है कि दरअसल दो दिन, अधिक से अधिक दो दिन किसी सत्र के प्रारम्भ होने से पहले कई सदस्य आते हैं ताकि जयपुर में रहते हैं, उनको भी फायदा मिल जाय, वह डी. ए. उनको मिल जाय। जहां तक कि वह भावना है कि पैसा पूरा करना है, वह किसी सदस्य के दिमाग में न थी और न होनी चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति को हम देखते हैं और उन परिस्थितियों के आधार पर सिलेक्ट कमेटी की जो कमियां थी नियमों में, उन नियमों के ऊपर गौर करके और पार्लियामेंट के और दूसरी विधान सभाओं के नियमों को देखकर यह तरमीम पेश की है दर-असल में दो दिन के बाद का भत्ता यदि कोई होता है तो दो दिन पहले वह आ जाय तो उनको मिल जाय। जैसा कि दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि दरअसल में वह अपने मकान से रवाना हों, विधान सभा के लिए तब का समय यदि माना जाय तो वह बात है कि यहां जयपुर में आकर निवास करने की बात है। तो पार्लियामेंट में भी यह नियम है कि चाहे वह ट्रावनकोर कोचीन से आने वाले हो, चाहे मद्रास से आने वाले हों, उनको ध्यान में नहीं रखा गया है और दूसरी विधान सभाओं में भी ध्यान में नहीं रखा गया है। अपने यहां भी लोगों को दूर दूर से आने में दो-तीन रोज लग सकते हैं तो उनका कोई अनुमान नहीं है। अनुमान सिलेक्ट कमेटी के सामने यह था कि दरअसल में जयपुर में आकर निवास करें और अपना अध्ययन करें तभी जाकर मिल सकता है।

दूसरा और कोई भी खास विषय नहीं है जिस पर कि इसके ऊपर कोई आपत्ति की जाय। यह काफी सोच विचार कर किया गया है। इसलिए इसको पारित किया जाय।

हां, एक बात और भी है, अध्यक्ष महोदय, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूं एक मिनट के लिए।

श्री अध्यक्ष—आप (श्री शम्भूसिंह) भी बोलना चाहते हैं ?

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष, अमेंडमेंट बिल जो सदन के सामने पेश किया गया है कि यहां आने पर और वापिस जाने पर दो–दो दिन का भत्ता मिले और बीच में भी यदि कोई सदस्य किसी कार्यवश जाता है तो उसको भी टी. ए., डी. ए. मिलेगा। इसमें जहां तक मेम्बर्स के आने-जाने का प्रश्न है वह ठीक है, परन्तु बीच में विधान सभा के कार्य को छोड कर जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उनको टी.ए. डी. ए. मिले उसके विषय में मैं विरोध करता हूं, क्योंकि वैसे ही मेम्बर्स विधान सभा के कार्य में दिलचस्पी नहीं लेते हैं और पूरे उपस्थित नहीं रहते हैं और यदि उनको इस अनुपस्थिति के विषय में भी डी.ए. मिलने लगेगा तो उनको यहां पर अनुपस्थित रहने में किसी प्रकार का भय नहीं होगा और वह अधिकांश में अनुपस्थित रहने की चेष्टा करेंगे। हम देखते हैं कि इस अधिवेशन में एक समय ऐसा आया था कि सभा में कोरम पूरा नहीं होने की वजह से कार्यवाही स्थगित करने की नौबत पेश आई और उस समय मेम्बर्स के अनुपस्थित रहने के संबन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं था, लेकिन जब यह विधान कर दिया जायगा कि मेम्बर कार्यवाही को छोड कर बाहर जायं तो उस समय में टी.ए. मिलेगा तो मैं समझता हूं कि यह अनुपस्थिति बढ़ने वाली होगी। इस वास्ते मैं यह अनुपस्थित रहने के दिनों में टी.ए., डी.ए. देने की जो व्यवस्था है उसका विरोध करता हूँ। बाकी जो अमेंडमेंट है वह ठीक है।

श्री हरिराम निनामा—अध्यक्ष महोदय, वेतन बिल के संबन्ध में आज प्रस्ताव आया है। सिलेक्ट कमेटी ने पहले निर्णय अवश्य दिया है। जिस महानुभाव ने बताया है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वे मालगाड़ी में आते हैं और डाक गाड़ी का किराया लेते हैं, कानूनों का पालन नहीं करते हैं, मैं इस बात का विरोध करता हूं। उन्होंने यह बात कही है वह शायद होटल में बैठने वाले लोग होंगे, लेकिन मैं आपसे यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि ऐसी मुश्किल है कि वहां घरों और गांवों में जाकर पहाड़ों और जंगलों २ में जाकर उनकी रिपोर्ट लेनी पड़ती है, उनकी स्थिति से जानकारी करनी पड़ती है, उसमें शान्ति और व्यवस्था की बातें करनी पड़ती हैं। उनकी बातों को भूल गये और गाडियों और फर्स्ट क्लास और सेकिन्ड क्लास की बातें करने लगे। मैं उनका विरोध करता हूँ। यह कब तक बर्दाश्त किया जायगा? उनको दिन रात जंगलों में घूमना पड़ता है। घर घर में जाकर उनको शान्ति देनी पड़ती है। एक मिनिट भी खाने पीने का समय नहीं मिलता है। उनको शान्ति नहीं मिलती है। दिन रात पहाड़ों में फिरते रहते हैं। उनके लिए भत्ते की व्यवस्था की बात नहीं, उनके लिए सहायता की बात नहीं। यह दुकान पर बैठने वाले यह कहते हैं कि भत्ता ज्यादा है। सेकिन्ड क्लास का नाम लेकर थर्ड क्लास में आते हैं। यह तरीका क्या है यह मैं नहीं समझ पाया हूँ इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जो कुछ बनाया है वह ठीक है। ऐसी बात करेंगे कि वह पहाड़ों पर भटकने वाले हैं उनको क्या मिलता है? पहाड़ों में उनके वेतन का क्या सवाल है? वेतन मिलता है दो सौ रुपये, लेकिन उनको पहाड़ों में सैंकड़ों मील चलना पड़ता है कि कहीं पता नहीं लग जाता है। उनको डेढ़ हजार या दो हजार रुपया दिया जाय तो खर्चा उनका पूरा नहीं होगा। इसका विरोध करता हूं, जो कुछ आया है, वह बिल्कुल ठीक ही होगा, और ज्यादा बहस नहीं करके यह जो भावना है उसको भुला दिया जाना चाहिए।

श्री सराज आर्य—माननीय अध्यक्ष, इस बिल पर चर्चा चल रही है और जैसा कि माननीय मन्त्रीजी ने फरमाया कि इस हाउस की कार्रवाही में भाग लेने को आने वाले सदस्यों के सदन के प्रारम्भ होने से दो दिन पूर्व और दो दिन बाद का उनको दैनिक भत्ता दिया जाय, यहां जनता के पैसे का दुरूपयोग होगा। यदि एक दिन का अंदाजा लगाया जाय तो २०००) रु. बैठते हैं। दो दिन पहले और दो दिन बाद में का हिसाब लगाया जाय तो कुल मिलाकर ८०००) रु. होते हैं। इसी तरह से बीच के दिनों का हिसाब लगाया जाय। मान लीजिए कि सदन पांच दिन के लिए चला। यदि पांच दिन तक ही चलेगा तब भी चार दिन का विशेष मिल जायगा। पांच दिन सदन चला और जितने दिन चला उतने ही दिनों का लगभग बिना काम के, बिना कार्यवाही के भत्ता देना पड़ेगा। यह जनता के पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग होगा। जो कभी माननीय सदस्यों के फर्स्ट क्लास में चलने के बजाय सेकन्ड क्लास में चलने में हुई उसकी किसी तरह से परी की जाय तो यह उचित बात नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे बहुत से माननीय सदस्य होंगे जो फर्स्ट, सेकन्ड या इन्टर क्लास का किराया लेते होंगे लेकिन वे अक्सर थर्ड क्लास में ही जाते हुए देखे जाते हैं। तो यह जनता के पैसों का दुरुपयोग है। लेकिन यह और कर देना कि मीटिंग से दो दिन पहले और दो दिन बाद का भत्ता भी मिलेगा यह कम से कम कांग्रेस एम. एल. एस. के तो बहुत बड़ा खिलाफ पड़ेगा। चुनाव के समय हमने वायदा किया था कि हम महज सेवा करने के लिए विधान सभा में जा रहे हैं। वे जो इस बात की गारंटी लेकर आयें हैं, हम ही उन पैसों का दुरुपयोग करते हैं तो यह ठीक नहीं है। पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग करते थे, उसी तरह यह चीज भी होगी। हम जो सेवा करने आये हैं उसके उपलक्ष में माहवारी वेतन हमको मिलता है और दैनिक भत्ता भी मिलता है। मैं यहां तक कहने को तैयार हूँ कि यह दैनिक भत्ता और माहवारी वेतन भी राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें ज्यादा मिल रहा है। दो दिन पहले और दो दिन बाद का भत्ता मिलना तो जनता के पैसों का दुरुपयोग होगा। यह फैसला देना उचित नहीं होगा, मेरी यह मान्यता है। मैं इधर बैठने वाले मित्रों से कहूँगा कि हम जनता के सामने इस तरह का धब्बा लगाने नहीं देंगे कि चार दिन काम करके हम आठ दिन का भत्ता लेते हैं और पैसे कमाने आये हैं, जनता की सेवा करने के लिये नहीं आये हैं। इससे न तो पैसा ही जमा होने वाला है और न जिन्दगी ही गुजरने वाली है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हुआ कहूँगा कि यह भत्ता नहीं मिलना चाहिये।

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय ......

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहता था कि इस पर डिस्कशन ऑन दि प्रिंसिपल हो रहा है या क्या हो रहा है ? रूल्स की बात है तब तो गवर्नमेंट को एप्रोच किया जा सकता है। इस बारे में इस बिल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, डिक्लेरेशन और सजेशन्स माननीय चीफ मिनिस्टर देना चाहते हैं, उनके सुझाव के अनुसार ही प्रिन्सिपल्स पर कोई बात है वह कही जाय

Page No.44

श्री भैरोंसिंह—यह सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में है।

श्री जयनारायण व्यास—जवाब के तौर पर तो नहीं किन्तु सूचना के तौर पर मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार का कोई आग्रह नहीं है कि दो दिन आगे और दो दिन पीछे का भत्ता दिया जाय। सरकार तो यदि कोई बिल्कुल ही कुछ नहीं ले तो भी उनका स्वागत करेगी। यह सजेशन दिया गया है कि अधिवेशन से दो दिन पहले आने में मेम्बर्स को स्टडी करने का, घर जमाने का और थकान मिटाने का मौका मिलता है और वे साउन्ड माइन्ड और साउन्ड बोडी से काम कर सकें। सरकार जबर्दस्ती से देने वाली नहीं है। आप यदि यह चाहते हैं कि एक दिन भी पहले या पीछे का नहीं दिया जाय तो सरकार उसका भी स्वागत करेगी। जो बातें अभी कही गई हैं उनका जवाब तो मैं बाद में दूंगा। हाउस का अगर सेन्स यह है कि यह नहीं दिया जाय तो मुझे तो इसमें खुशी होगी। मुझे ही नहीं बल्कि फाइनेन्स मिनिस्टर और भी ज्यादा खुश होंगे। दैनिक भत्ता और मासिक भत्ते में कमी की सूचना दे दें तो मैं और भी खुश होऊंगा।

श्री अध्यक्ष—Once it is allowed and permitted under the rules, I think the foreign members will not be forth coming.

श्री तनसिंह—मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बहस जो अभी चली, उसे सुनकर मुझे कुछ ताजुब हुआ और कुछ मन ही मन हंसी भी आई। एक ओर तो देने का प्रयास किया जाता है तो दूसरी ओर ठुकराने का प्रयास किया जाता है। जब मानने का प्रयास किया जाता है तो रूठने का उपक्रम किया जाता है और जब सरकार रूठ जाती है तो उसको मानने का प्रयास किया जाता है। एक ओर तो यह प्रयास किया जाता है कि हमारी तनखा और भत्ता बढ़ाया जाय और जब भत्ता बढाने की हां भर ली जाती है तो यहां सदन में आकर उसका विरोध किया जाता है। मैं यही कहूंगा कि प्रसिद्धि और प्रेस एक संक्रामक रोग है इसलिए मेरा ख्याल है कि यहां आकर थोड़ी बहुत जो बातें कुछ लोगों द्वारा कही जाती हैं वे केवल कहने की बातें ही होती हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने स्पष्टीकरण कर दिया है, इसलिए वक्ताओं को बैठ जाना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है त्याग की। बताया यह जाता है कि हम त्याग करें। मैं समझता हूं कि त्याग की प्रवृत्ति उन लोगों में कतई नहीं है। त्याग की प्रवृत्ति दिखाने के लिए असेम्बली ही नहीं है, त्याग करने वालों के लिए और भी बहुत से रास्ते हैं। दूसरों को शिक्षा दें इससे पहले वे त्याग करते अपनी तनख्वाह का, जरूरी नहीं कि सरकार के काम में लावें, बल्कि कम से कम दूसरों के तो काम में वह रकम लावें। कम से कम पूर्ववक्ता त्याग का बात अपने ही ओर से प्रारम्भ कर देते और फिर हमें शिक्षा देते तो व्यवहार की दृष्टि से कुछ और बात होती। स्वयं त्याग नहीं करना और दूसरों को शिक्षा देना तो बहुत बुरी बात है।

मुझे एक बात और निवेदन करनी है। अभी यह कहा गया कि हम यहां आते हैं उस समय बैठक शुरू होने से दो दिन पहले और दो दिन बाद का भत्ता दिया जाय, उस बारे में आप जिस दिशा में सोच रहे हैं उस दिशा में तो मैं इसका विरोध करूंगा। लेकिन

[श्री तनसिंह]

मैं निवेदन करूंगा कि हममें से बहुत से लोगों को असेम्बली में आने से नुकसान होता है। हममें से कई लोग वकील हैं जिनकी वकालत अच्छी चलती है.....

श्री हंसराज—यहां सभी वकील ही नहीं हैं।

श्री तनसिंह—जो वकील नहीं हैं उनके अलावा जो व्यापारी हैं उनको भी नुकसान होता है। हम यहां इसलिये नहीं आते हैं कि उस नुकसान की कमी को पूरी करें, लेकिन हम इसलिये आते हैं कि जनता ने हमें चुना है इसलिये हम उनकी सेवा करें। इसलिये नहीं आते है कि वकालत का घाटा परा करें बल्कि इसलिये आते है कि वैधानिक बातों पर ठीक तरह से विचार करके अपने कर्त्तव्य को पूरा करें। हम यहां से वापिस जाकर इन्हीं बातों को अपनी अपनी कांस्टीट्युएन्सीज़ के लोगों को बतलाते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे बचत भी हो और कुछ को घाटा हो लेकिन यह दुनिया भर को बतलाने की बात नहीं है कि क्या घाटा होता है, क्या फायदा होता है ? क्यों कि फायदे की इमारत नुकशान की धूप में ही खड़ी रहा करती है। कहा गया कि सेकन्ड क्लास का किराया लेकर थर्ड में जांय। यह भी बुरी चीज़ है। मैं स्वयं तो सेकन्ड क्लास में ही जाता हूँ। लेकिन कोई आदमी हलवा नहीं खाना चाहता है तो आप क्यों चाहते हैं कि वह हलवा ही खाय। कोई सेकन्ड क्लास में नहीं जाना चाहता है तो वह न जावे।

श्री हंस राज—ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर सर, थर्ड क्लास में सफर करें और सेकिन्ड क्लास का किराया चार्ज करें यह कानून की अवहेलना है।

श्री तनसिंह—कानून हमारे सामने है। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जिस क्लास में सफर करते हैं उस क्लास के लिये सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि उक्त क्लास में सफर किया है। इसी तरह सर्टिफिकेट देने का सदन के सदस्यों पर बन्धन नहीं है तब तक इसके लिये छूट है। माननीय सदस्य ज्यादा जानकारी रखते हों तो ज्यादा स्पष्टीकरण कर सकते हैं। मौजूदा रूल्स हैं उनके माफिक तो इस प्रकार का कार्य करने के लिये न तो नैतिक दृष्टि से ही और न और किसी दृष्टि से ही प्रतिबन्ध है। कहना है वह तो कहने के लिये कहा जाता है। उनके दिल को पूछा जाय तो पता चलेगा कि वे केवल शब्दों से तो इसका विरोध करते हैं परन्तु दिल से इसका समर्थन करते हैं। केवल प्रसिद्धि प्राप्त करने की प्रवृत्ति है इसलिये ऐसा कहते हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय अध्यक्ष, इस बिल पर काफी गरमा गरम बहस हो रही है। कोई माननीय सदस्य तो सच्ची २ बातें कहते हैं और कई माननीय सदस्य बिल्कुल दिखावटी बातें कहते हैं। मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया कि बहुत सारे सजेशन्स उनके पास आये कि जिनके मुताबिक उन्हें यह बिल लाना पड़ा। सजेशन्स तो उनके पास ऐसे भी आये कि साढ़े बारह रुपये

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

रोज के लेने के बाद भी माननीय सदस्यों ने होस्टल का किराया नहीं चुकाया है और होस्टल का बिल नहीं चुकाया है। यह रुपया उनके भत्ते में से काटा जायगा या क्या किया जायगा, ऐसा तो सजेशन माननीय मुख्य मन्त्री ने भी नहीं दिया है।

श्री जयनारायण व्यास—यह तो सोच रहे हैं कि हाऊस के रूल्स लागू करें।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आज उसका आठ, दस हजार रुपया आउट स्टेन्डिंग है और अब सिवाय डाल्डा खिलाने के और कोई चारा उसके पास नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष—This is more advocating his cause.

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—कमीशन के पैसे तय किये हैं, साहब।

(हंसी)

श्री कपिलदेव अग्रवाल—हमारा तो पेशा ही वकालत करने का है, कभी पैसे ले कर और कभी बिना पैसे के।

जब दो दिन के भत्ते का और सेकिन्ड क्लॉस का किराया चार्ज करके थर्ड क्लॉस में ट्रेवल करने आदि के सवाल पैदा होते हैं तो कम से कम होस्टल के पैसे चुकाने का भी प्रबन्ध इस बिल में करें, जैसा कि पहले पल्टनों में व्यवस्था की जाती थी कि ठेकेदार को सिपाहियों को तनख्वाह में से चुका दिया जाता था, यही यहां भी होना चाहिये, यह मेरा सुझाव है। दूसरा सुझाव में यह देना चाहता हूं कि जयपुर स्टेट के जमाने में फर्स्ट क्लॉस और सेकिन्ड क्लॉस में, ट्रेवल करने वाले ऑफीसर्स को अपने टिकिट के नम्बर देने पड़ते थे और हलफ नामा लिया जाता था। इसी तरह यहां पर भी यही नियम लागू कर दिया जाय। यह कर देने पर जो कई माननीय सदस्य कहते हैं कि थर्ड क्लॉस में ट्रेवल करते है और सेकन्ड क्लॉस का किराया चार्ज करते हैं, ऐसा नहीं हो सकेगा और माननीय सदस्यों को अपने अपने टिकटों के नम्बर देने पड़ेंगे और फर्जी नम्बर देना मुश्किल है। जिस चीज़ का इन्तजाम चाहते हैं वही इन्तजाम हो जायगा।

तीसरा सवाल दो दिन पहले का और दो दिन बाद का भत्ता देने का है, वह मेरी समझ में ठीक नहीं है। पहले मैं यह समझे हुए था कि दो दिन पहले आवो या मत आवो, दो दिन बाद यहां ठहरो या न ठहरो एलाउन्स मिल जायगा परन्तु भाषण सुने तो पता चला कि दो दिन पहले आना ही पड़ेगा और दो दिन बाद तक ठहरना ही पड़ेगा तभी यह अलाउन्स मिल सकेगा हम कोतो सेशन के दिनों में आना पड़ता हैं इसलिये यह रखने से अपने को तो कोई फायदा नहीं। यह उनलोगों के लिये आवश्यक है जो घर से आकर यहां ठहरते हैं, दो दिन रास्ते में लग जाते हैं। दो दिन पहले

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

आना पड़ेगा तो दो दिन पहले आने से क्या फायदा होगा ? माननीय मुख्य मंत्री ने बताया कि इससे माइन्ड साफ होगा। तो माइन्ड तो साफ है। घर जमाने की बात है सो अपना तो घर जमा जमाया है, होस्टल में ठहर गये। १० मिनिट लगते हैं घर जमाने में, दो दिन लगते नहीं। कोई खास घर है नहीं, वह जमा जमाया है ही। इसलिये यह बात समझ में बैठती नहीं। अपने तो इस बात का विरोध करते हैं, दो दिन पहले आने-जाने का जो टंटा है इसका विरोध करते हैं। अपने दो दिन पहले आने और दो दिन बाद जाने से कोई विशेष फरक पड़ता नहीं। ऐसा है कि कोई प्रोक्सी पर ही काम चलता हो तो साफ कर दें। बीच वाले का तो सही है। कोई आदमी सेटरडेज को छुट्टी होती है और जाना चाहता है तो भत्ता या किराया जो चीज़ दोनों में से कम हो वह ले सकता है, वही तो सही है।

अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे अनुरोधों को स्वी-कार करें।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री ने पहले फरमाया था कि इस बिल को कम से कम डिस्कस करके पास किया जाय, मैं भी इसे ज्यादा डिस्कस नहीं करता और निवेदन करता हूं कि इसे ज्यों का त्यों पास कर दिया जाय परन्तु मेरे कई साथियों ने न मालूम किन विचारों से, शायद इस विचार से कि प्रेस वाले बैठे हैं, अखबार में अपना नाम आ जाय इसलिये इस बिल का विरोध किया या यह बताने के लिये कि हम जनता के सच्चे सेवक हैं। पर सच बात तो यह है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी के पास उन्हीं साथियों में से तनख्वाह बढ़ाने के लिये एप्रोच हुए थे जो कि अभी इस बिल का विरोध कर रहे थे। मैं उनसे अर्ज करूंगा कि आप अपने दिल को टटोलिये, आपने यह कहा था कि २०० के स्थान पर ३०० कर दिये जायं और अब वे ही यहां यह कहते हैं कि हम जनता को मुंह कैसे दिखायेंगे ? आप अगर जनता के सामने आदर्श रखना चाहते हैं तो कई प्रकार से आप जनता के सामने आदर्श रख सकते हैं। महाराजा बीकानेर को पार्लियामेंट में अलाउन्स मिलता है, वह सब छात्रवृति में दे देते हैं। आप भी इसी तरह से जनता के सामने आदर्श रख सकते हैं, छात्रवृति दीजिये और अच्छे कार्यों में रुपया दीजिये परन्तु वे ही साहब जो यहां इस तरह की बातें कहते हैं वे तनख्वाह लेते समय भीड़ में घुस कर हमेशा पहले तनख्वाह लेने जाते हैं। वे अपने दिल को टटोलें। जिस वक्त इस बिल के विरोध में वे माननीय सदस्य बोल रहे थे तो फाइनेन्स मिनिस्टर खुश हो रहे थे कि नहीं लेना चाहते हैं तो ठीक है; तो उस समय उन्होंने देखा कि यह तो मामला डूब रहा है तो अफसोस में मुंह नीचा कर लिया। मैं तो यही अर्ज करूंगा कि खामोख्वाह ऐसी बातों में क्यों पड़ रहे हैं, अपने दिल से तो पूछिये। अच्छा तो यही होता कि बिना बहस किये ही इसे पास कर लेते। जैसा सेक्रिफाइस करना चाहते हैं, डींगे हांकने से क्या, हाथी के दांत खाने के और व दिखाने के और होते हैं, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं। यह बिल हम सब के प्रेशर से आया है, मुख्य

[श्री खेतसिंह]

मन्त्री अपने को खुश करने के लिये नहीं लाये हैं । हम लोगों ने ही उन्हें कहा था कि ऐसा होना चाहिये। उस वक्त नहीं सोचा था कि जनता को कैसे मुंह दिखायेंगे ? इस तरह सफाई की क्या जरूरत है ? खामोख्वाह डिस्कस करते हैं। अब रही मुंह दिखाने की बात। पार्लियामेंट वाले भी तो लेते हैं और जब वे लोग लेते हैं तो फिर आपको लेने में क्या हिचकिचाहट होनी चाहिये ? बड़ी से बड़ी स्टेट्स हैं जिनको ए पार्ट की स्टेट कहते हैं वहां पर भी लोग लेते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप मत मत लीजिये। मगर यह बात यहां कहने की नहीं। जैसा की माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने और स्पीकर साहब ने फरमाया, इसको फौरन पास किया जावे।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, यह एक साधारण चीज है और इस पर आपस में हमारे मित्र आलोचना और प्रत्यालोचना नहीं करते तो अधिक सराहनीय होना,लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि वास्तव में जो मौजूदा हमारे प्रोविजन्स एम. एल. ए. को भत्ते दिये जाने के संबन्ध में हैं मेरी यह धारणा है कि वे काफी हैं और जैसा कि अधिकतर मित्रों ने दो दिन पहले और दो दिन बाद के भत्ते के लिये विरोध किया और कहा कि हमको "फर्स्ट डिजर्व एन्ड देन डिज़ायर" के अनुसार केवल वही रुपया स्वीकार करना चाहिये जो वाजिब हो और क्योंकि पॉवर अपने हाथ में है उसका दुरूपयोग नहीं हो जावे इस बात का ध्यान रखना चाहिये। जैसाकि किसी ने कहा हैं कि संसार में दो ही बातें हैं :

एक तो कंचन और दूसरी एक चीज़ और।

(हंसी)

और ऐसी परिस्थिति में मैं यह निवेदन करूंगा कि जो दो दिन यहां बैठ कर २५ रू० लिये जावें और इसके लिये यह प्रोवीजन रखा जा रहा है, इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि २॥ वर्ष का अनुभव है कि ज्योंही असेम्बली का सेशन खतम हुआ कि उसी दिन करीब करीब १२ घन्टों के अन्दर अन्दर गवर्नमेंट होस्टल खाली हो जाता है और यहां पर यह कोई व्यवहारिकता नजर नहीं आती कि २५) रुपये पहले और २५) रुपये बाद में लिये जावें। जो लोग किसी दूसरे कामों के लिये ठहरें वे ठहर सकते हैं, यह एक दूसरी बात है। अगर छुट्टी वगैरह हो उसके लिये तो हमारे यहां प्रोवीजन है। लेकिन अगर एक व्यक्ति निजी काम के लिये जाता है और उसको उसके लिये खर्च करना पड़ता है तो उसके लिये सरकार पर यह बोझ क्यों डाला जाता है ? इसके अलावा सार्वजनिक सेवा के लिये जाते हैं तो उसके लिये तो हमें २०० रुपये घर बैठे मिलते हैं। वे किस बात के मिलते हैं ? वे इसालिये मिलते हैं। हम जितनी सेवा करना चाहें कर सकते हैं। इसलिये मेरा तो यह नम्र निवेदन है कि मौजूदा एक्ट जो है उसको नहीं रखा जाना चाहिये और उसमें किसी प्रकार का हेर-फेर नहीं होना चाहिये।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में बोलते हुए मुझे यह निवेदन करना है कि यह बड़े दुःख का विषय है कि आज हमारे सामने अपने ही भरण-पोषण के लिये एक

[श्री मानसिंह महार]

चीज आई है और उसके बारे में हमारे साथियों की आत्मा अगर गवाह नहीं भी देती है तो जब घर में पैसा आता है उस लालच से हमारा मत एन केन प्रकारेण उसे वाजिब मानते हैं, सही चीज यह है। माननीय अध्यक्ष, आज हम लोग यह कहते हैं कि हमको सेकिन्ड क्लास का किराया दिया जावे। कुछ लोगों ने यह कहा कि अगर फर्स्ट क्लास टूट गई तो भी हमको सेकिन्ड क्लास मिलना चाहिये। लेकिन हम लोग भूल गये उन सिद्धान्तों को जो महात्मा गांधी के थे। वे क्या थे? महात्मा गांधी खुद थर्ड क्लॉस में जब आ जा सकते थे तो हम लोगों को भी जो महात्मा गांधी के आदेशों पर चलने वाले हैं; तो हमको भी चाहिये कि हम भी थर्ड क्लास में ही ट्रैवल करें।

(करतल-ध्वनि)

हमको इसमें किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिये। अगर हमारी गरीब जनता के दुखों को हमें अनुभव करना है तो हमको चाहिये कि हम भी थर्ड क्लॉस मे बैठें और जब हम थर्ड में बैठेंगे तो हमको गरीबों की मुसीबत का पता चलेगा। इसके अलावा हमारे कुछ मित्रों की धारणा ऐसी बन गई है कि वे थर्ड क्लॉस में आते हैं और किराया सेकिन्ड क्लॉस का चार्ज करते हैं। यदि यह हो जावेगा तो उनकी यह बात खत्म हो जावेगी। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि कुछ लोग बिना टिकट आते हैं और सेकिन्ड और फर्स्ट का किराया लेते हैं। मैंने आज तक किराया लिया नहीं है।

इसलिये कुछ मित्रों की यह धारणा रही है लेकिन फिर भी जब रकम बहुत थोड़ी रह जावेगी तो शायद हम लोगों की इस प्रकार की जो पाप की प्रवृति की धारणा है वह कम हो जावेगी। इसलिये थर्ड क्लास का किराया हो जावे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि अगर हम सब लोग थर्ड क्लॉस में सफर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे मित्र मेरे इस कहने पर बिगड़ रहे हैं और मुंह बिगाड़ रहे हैं, फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि इससे उनको कोई आर्थिक हानि नहीं होगी, मगर फिर भी उनको थर्ड क्लास का किराया मन्जूर करना चाहिये।

श्री जवानसिंह—मोटर से आने वालों के लिये किराया...

श्री मानसिंह महार—जो लोग मोटर मे आते हैं उनको किसी प्रकार का चार्ज नहीं करना चाहिये, यह मेरा निश्चित मत है।

इसके अलावा दूसरी चीज यह है कि दो दिन पहले और दो दिन बाद २५), २५) रू० हर सेशन के साथ उनको दिये जावें। इसके लिये मैं यह कहूँगा कि यह दिये जाने की बात चीफ मिनिस्टर ने रखी हो लेकिन उन्होंने यह बात चाहे हम लोगों के सुझाव से रखी हो, लेकिन फिर भी वह एक बहुत नावाजिब चीज है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी दौरे पर जाता है और एक दिन का डी. ए. ज्यादा चार्ज कर ले तो न मालूम उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावे? तो आज हम इस प्रकार का कानून बनाने वाले हमारे स्वार्थ के खातिर यह कहते हैं कि बिना किसी

[श्री मानसिंह महार]

काम के दो दिन पहले और दो दिन खत्म होने पर रहेंगे और फिर डी. ए. वसूल करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि यह पब्लिक की गाढ़ी कमाई का वह पैसा जिसे हमें कम से कम खर्च करना चाहिये, इस तरह लेना मैं वाजिब नहीं मानता। मैं यह कहता हूँ कि हमारे यहां यह होना चाहिये कि पब्लिक का कम से कम पैसा खर्च हो, इसलिये दो दिन पहले और बाद का मामला है उसको भी कम करना चाहिये।

इस विधेयक को मैंने देखा और सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को देखा तो एक कमजोरी मुझे महसूस हुई और इसलिये मैं हमारे चीफ मिनिस्टर से निवेदन करूंगा और वह यह है कि हम लोगों को अपने ही दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिये कि दो दिन पहले और दो दिन बाद के २५) ७५)रू० जावेंगे, बल्कि हमें अपनी भावना की ओर देखना चाहिये और सोचना चाहिये। और हमें सोचना चाहिए कि इन लोगों को अगर सेशन के टाइम पर मेटर्निटी लीव की जरूरत पड़े तो इस प्रकार का प्रोविजन होना चाहिए ताकि ऐसे समय के लिए उनको कोई अलाउन्स वगैरह जरूर मिलना चाहिए।

(हंसी)

यह सब जगह होता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी इसको वाजिब समझे तो इस पर भी विचार करें।

ये दो तीन छोटे २ सुझाव देते हुए मैं मेरे मित्रों से निवेदन करूंगा कि वे थर्ड क्लास का किराया जरूर मंजूर करें और यह जो दो–दो दिन के इधर ओर उधर के लिए पच्चीस पच्चीस रुपया वाला जो प्रस्ताव है वह हर्गिज भी मंजूर नहीं करें।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—यह जरूर कहिये मगर मेटर्निटी की बात नहीं करिये।

(हंसी)

श्री मानसिंह महार—अगर सब जगह छुट्टी मिलती है तो फिर असेम्बली में छुट्टी इनको क्यों नहीं मिलती है ? यह दो-दो दिन वाला मामला सरकार लगा देगी तो हमें जिस तरह से रेल के किराये में गुन्जाइश मिल जाती है, हम आवेंगे ऐन दिन और जावेंगे सेशन खत्म होते और एक तरह से पचास रुपया का पुछल्ला लग जायगा। अगर आप हमें एक प्रकार से यह देते हैं तो इस ओर

[श्री मानसिंह महार]

प्रेरित करते हैं कि हम किसी प्रकार की धोखे बाजी करें। इसलिए निवेदन है कि हम सब को जो कुछ मिलता है वह काफी है और इस चीज़ को आगे न बढ़ा कर हमारे दिमाग में ऐसी बात न डालिये जिससे हम गलत काम करें। इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर और मुख्य मन्त्रीजी दोनों विचार कर के इस चीज़ को अवश्य ड्रोप कर दें।

श्री अध्यक्ष—I think it is too much talk on a very simple subject, reading too much in a very simple affair.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है वह वास्तव में सरकार के विचारों का रिफ्लेक्शन नहीं है बल्कि मैं ऐसा समझता हूं कि जो सुझाव कतिपय सदस्यों की तरफ से आये हैं और उन सुझावों का एक स्वरूप दिया गया है। सो आज जिस तरह की बहस हुई उससे तो कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि आम राय जो है वह त्याग की तरफ है।

(हंसी)

त्याग की तरफ है और सरकार उस त्याग वृत्ति और त्याग भावना का स्वागत करती है।

(हंसी)

अभी जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जहां है वहां भी रह जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर इस रिपोर्ट को विद्ड्रा करने की बात हो तो सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग बुलाने की इज़ाजत मुझे मिल जाय।

श्री अध्यक्ष—The House is the proper place.

श्री जयनारायण व्यास (जारी)—मैं समझता हूं कि एक राय है, माननीय मानसिंह जी महार की, कि थर्ड क्लास का किराया लेना चाहिये। कम से कम मैं सरकार की तरफ से उसका स्वागत करता हूं।

दूसरी राय श्री कपिलदेवजी की है कि दो दिन इधर और दो दिन उधर नहीं देने चाहिये। मैं उस राय का भी स्वागत करता हूं।

तीसरी राय श्री श्रीदासजी गोयल की है कि इन्टरिम मियाद के लिए किराया नहीं लेना चाहिये। मैं उस राय का भी स्वागत करता हूं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—श्री मानसिंह जी की एक राय और है उस पर क्या विचार है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने भी उस पर चर्चा बंद कर दी है इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा।

(हंसी)

तो उस दूसरी राय पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता।

अंत एक बात जरूर है और वह यह कही गई है कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। मैं नहीं कह सकता हूं कि ऐसा है। जो कुछ कह दिया है वह हाउस की राय है और मैं उसका स्वागत करता हूं। फिर भी हाउस को बातचीत करना हो तो दो बातें और जोड़ दी जांय। कुछ अलाउन्सेज़ में कमी करना हो तो कमी कीजिये। दिन और मासिक अलाउन्स में भी कमी कीजिये। इन पांच छः बातों की जांच करने के लिए हाउस की सिक्रेट मिटिंग बुला ली जाय। प्रेस प्रतिनिधियों के होने से-जैसा कि माननीय तनसिंहजी ने कहा कि कुछ इधर उधर घुमा देने की बातें हो सकती है। तो सिक्रेट मीटिंग में पांच छः बातें तय कर ली जांय। मैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन दिलाता हूं। कल हो तो भी कोई आपत्ति नहीं है। तो सिलेक्ट कमेटी का हाऊस के निर्णय के लिए एक २ पोइन्ट है और वह मैं हाऊस के निर्णय पर छोड़ देता हूं। हम हाऊस की राय के खिलाफ रूल्स नहीं बनावेंगे।

(कुछ विराम के अनन्तर)

हाउस द्वारा, जो सिलेक्ट कमेटी ने सुझाव दिये हैं अगर उनको विद्ड्रा करने की इजाजत मुझे दे दी जाय तो उसे भी मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House.?

('यस, नो' की आवाजें)

श्री अध्यक्ष—Order! Order!!

(दीर्घ विराम के अनन्तर)

श्री जयनारायण व्यास—अध्यक्ष महोदय, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में दो बिल्स का जिक्र है। पहली बात तो है फर्स्ट क्लास के बदले सेकिन्ड क्लास करना, स्पीकर का भी उसमें है

[श्री जयनारायण व्यास,]

और मेम्बर्स का भी उसमें है। दूसरा जो है वह इमोल्यूमेंट्स के बारे में है। मैं समझता हूं कि रूल्स इसमें भी और उसमें भी चेन्ज करने पड़ेंगे। मैं पहले बिल को ही हाउस की राय के लिए उपस्थित कर देता हूं; उस बिल को पास करना पड़ेगा या अमेंड करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—कन्सीड्रेशन का मोशन पुट नहीं हुआ है। अमेंडमेंट्स आये हैं इसलिए इसको क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लेना पड़ेगा।

श्री जयनारायण व्यास—जनरल डिबेट का रूल में सेन्स है। वह सेन्स ले लेंगे और यदि रूल्स चेन्ज नहीं करना है और हाउस नहीं चाहता है तो क्यों चेन्ज करें?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो पहला बिल "To amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers & Members emoluments) Act, 1952, (Act No. 15 of 1952) को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

प्रथम बिल विचारार्थ लिया जाता है।

खण्ड २

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

Clause 3, amendment by Shri Jawan singh

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, अब चूंकि फर्स्ट क्लास ज्यादातर हिस्सों में बन्द हो गया है इसलिए इसके बदले में जो दूसरा क्लास अवेलेबल हो सकता है उसके लिए प्रोवीजन दिया गया है उसका समावेश इस क्लाज़ में किया गया है। जहां तक इसके शब्दों का सवाल है ये शब्द इस प्रकार है:

"and be deemed always to have been."

[श्री जवानसिंह.]

शब्द डिलीट करने का मैंने अपने संशोधन के जरिये निवेदन किया है। मेरा आशय यह है कि काफी अर्से से फर्स्ट क्लास चल रहा था और अभी करीबन महिना या डेढ़ महीने पहले खास तौर से अहमदाबाद दिल्ली तक चलने वाली मेल ट्रेन्स में फर्स्ट क्लास चला करता है। आज भी राजस्थान के कई हिस्से ऐसे हैं जहां फर्स्ट क्लास अवेलेबल हो सकता है। भरतपुर से कोटा लाइन पर फ्रन्टियर मेल में यह सुविधा है। अगर यह मान लिया जाय कि फर्स्ट क्लास ऑफिसर को पहले उस वक्त से जो कायदे हैं व कायदा पहले से लागू किया हुआ माना जायगा। इसका अर्थ तो यह हुआ इससे यह उलझन पैदा हो जायगी कि जिन ऑफिसर्स ने या असेम्बली के मेम्बर्स ने जो अमाउन्ट्स ड्रॉ कर लिये हैं फर्स्ट क्लास के हिसाब से वह अब सेकण्ड क्लास हो चुके हैं और इससे फर्स्ट क्लास के हिसाब से जो टी. ए. ड्रा कर चुके हैं उसमें इससे उलझन पैदा हो जायगी। मैं इसे वाजिब नहीं समझता कि यह उलझन कायम रहे। जहां फर्स्ट क्लास है वहां फर्स्ट क्लास का मिले और जहां फर्स्ट क्लास नहीं हैं वहां सेकन्ड क्लास का मिले। सवाल यह पड़ता है कि कुछ अर्से पहले कुछ जगहों पर फर्स्ट क्लास के डिब्बे बन्द हो गए थे लेकिन इससे पहले सेकन्ड क्लास के लिए जो रूल्स बने हुए थे फर्स्ट क्लास के बन्द हुए उससे पहले लागू हो गए। उन ऑफिसर्स के लिए और इस सदन के सदस्यों के लिए। इन रूल्स को पहले से लागू मान लिया गया तो उलझन पैदा हो जायगी। दूसरे सरकारी नौकरों के लिए जो सेकन्ड क्लास के रह गए उन रूल्स के मुताबिक हमारे यहां चूंकि दूसरा कानून कायम था इसलिए फर्स्ट क्लास का किराया ड्रॉ कर सकते हैं इस दर्मियानी समय का किन्तु जितना किराया उठा लिया गया है उसमें उलझन पैदा हो सकती। इसलिए जब से कानून पास किया जाता है उस दिन से यह नियम लागू किये जांय तो किसी प्रकार की उलझन पैदा नहीं होगी। इसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये। पहले जो किराया उठा लिया था उसके बारे में किसी प्रकार की उलझन पैदा न हो इसलिए मैंने अपने इस संशोधन के जरिये निवेदन किया है अतः ये शब्द डिलीट कर दिये जांय।

श्री भैरोसिंह—(दांता रामगढ़) अध्यक्ष महोदय, क्लाज़ ३ के विषय में जो मूल कानून है राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए ट्रेवलिंग अलाउन्स देने के बारे में एक नया प्रस्ताव आया है। वह प्रस्ताव इस कारण प्रस्तुत हुआ है कि रेलवेज में कई स्थानों पर फर्स्ट क्लास तोड़ दिया गया है। वैसी सूरत में फर्स्ट क्लास न होने के कारण विधान सभा के सदस्यों को सेकन्ड क्लास में यात्रा करने के बावजूद भी फर्स्ट क्लास का किराया वसूल करते हैं तो कम से कम जन सुधारकों के लिये यह ठीक नहीं होगा। इसी आशय को सामने रखकर फर्स्ट क्लास के स्थान के ऊपर यह दूसरा तरीका अपनाया जाय वह दूसरा तरीका यह उत्तम समझा गया है कि फर्स्ट क्लास ऑफिसर को जो किराया मिलता है उसी आधार पर विधान सभा के सदस्यों को मिले। अभी अभी सदन में जो चर्चा हुई है जिस चर्चा के अब तक का आधार जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने शब्दों में बताया उन शब्दों का जो जोरदार समर्थन माननीय वित्त मन्त्री द्वारा हुआ उन दोनों का स्वागत करते हुए आज मैं माननीय मुख्य मन्त्री से अपील करूंगा कि जहां विधान

]श्री भैरोंसिंह]

सभा के सदस्यों के लिए फर्स्ट क्लास आफिसर के समान ट्रेवलिंग अलाउन्स रखने की तजवीज की जाती है वह तजवीज वाजिब है लेकिन उस तजवीज को कार्यान्वित करने के लिए जो रूल्स बनें उनमें कम से कम इस प्रकार का संशोधन कर दें। मैं समझता हूँ और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस विधान सभा का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो इस विचारधारा का स्वागत न करेगा। उससे एक नई विचार-धारा पनपेगी। वह विचार-धारा इस प्रकार कि जितने भी फर्स्ट क्लास के आफिसर्स है वे सब थर्ड क्लास में यात्रा करें। इससे आपको चिन्ता इस बात की हो सकती है कि इस प्रकार करने से हमारे आफिसर्स का स्टेंडर्ड गिर जायगा। लेकिन इससे स्टेंडर्ड गिरने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता, जब राजस्थान विधान सभा के सदस्य इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, सरकार चलाने वाले जब इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स के लिए स्टेंडर्ड गिरने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इससे क्या होगा कि आज एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वह समाप्त हो जायगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करुंगा कि वह अपनी पार्टी के अन्दर इस थर्ड क्लास के किराये को मन्जूर करवा कर विधान सभा के सदस्यों और फर्स्ट क्लास आफिसर्स और अन्य कर्मचारियों में किसी प्रकार का डिफरेन्स न हो, ऐसी भावना को जागृत करेंगे। जिन विधान सभा के सदस्यों द्वारा यहां के शासन की नीति संचालित होती है यदि वे इस प्रकार करने के लिए तैयार हो जायेंगे तो दूसरे आफिसर्स लोग उनका अवश्य अनुकरण करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। फर्स्ट क्लास आफिसर और विधान सभा का सदस्य सभी थर्ड क्लास का किराया लें। जिस प्रकार अभी अभी मुख्य मंत्री ने हमारे माननीय सदस्यों की त्याग भावना से प्रेरित होकर जिस तरह से उन्होंने उनकी त्याग की भावना को पकड़ा है। उसी प्रकार हमारे विधान सभा के सदस्य इस प्रकार का एक अनुकरणीय इतिहास बनायेंगे। जिसका अनुकरण दूसरे प्रान्त वाले करेंगे, और इस प्रकार के कार्य से राजस्थान विधान सभा धन्यवाद का पात्र बनेगी। मेरा ख्याल है कि आज के इस स्वर्णिम अवसर को कोई भी माननीय सदस्य नहीं खोयेगा। इस प्रकार के मौके का लाभ उठाकर महात्मा गांधी द्वारा चलाये हुए सिद्धान्तों का सच्चे रूप में अनुकरण कर सकेंगे। महात्मा गांधी जिस प्रकार थर्ड क्लास में सफर करते थे उनसे वे यह चाहते थे कि जितने भी थर्ड क्लास में बैठने वाले पैसेन्जर हैं वे किस किस प्रकार की चर्चायें करते हैं उनको किस किस प्रकार तकलीफें होती हैं, वे किस किस प्रकार चर्चायें करते हैं क्या उनके अभाव अभियोग हैं आदि सब बातें थर्ड क्लॉस में सुनने और देखने को मिलती हैं। इस तरह से आप विधान सभा में सच्चे मायने में जन प्रतिनिधित्व कर सकते हैं आप उन थर्ड क्लास में बैठने वालों की विचार धारा यहां सदन में रख सकते हैं उन विधारधाराओं को संयमित करके विधान सभा में सरकारी अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करूंगा कि महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को सामने रखते हुए और गरीब लोंगों की क्या समस्यायें हो सकती है इन सब को समझना हो तो हमें थर्ड क्लास में सफर करना चाहिये। इससे जहां हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति सुधरेगी वहां विधान सभा के सदस्य सच्चे मायने में गरीब जनता के बीच में आकर उनकी विचारधारा और कष्टों को सदन के सामने

[श्री भैरोंसिंह]

रख सकेंगे। आज जिस भावना का जिस त्याग की भावना का परिचय अभी अभी सदन ने दिया है, यह सुअवसर है माननीय मख्य मंत्री उस त्यागमयी भावना का फायदा उठायेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो क्लॉज़ है, इसमें पहले फर्स्ट क्लास था और अब इसमें सेकन्ड कर दिया गया है। पर राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह किराया थर्ड क्लास का होना चाहिये। और सरकारी अफसर हैं उनका भी ड्योढा किराया और mixed हैं वह भी इतना नही होना चाहिये। और .....

श्री जयनारायणव्यास (मुख्य मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करना चाहता हूँ। अभी हमारे सामने इस विधेयक का एक क्लॉज़ है और इसके ऊपर दूसरा एक संशोधन है कि जो संशोधन सेकिंड क्लास तक ही सीमित है। ऐसी स्थिति में अगर हम थर्ड क्लॉस की चर्चा करेंगे और जो अफसर हैं उनके भतों की भी चर्चा करेंगे तो यह मोजू नहीं होगा। मैं त्यागी की भावना को पसन्द करता हूं पर इतनी इस तरह की त्याग की भावना पसन्द नहीं करता। अगर माननीय सदस्य की भावना है तो उसको वे निभा सकते हैं। पर इस समय तो वे सदन में जो विषय है उस विषय तक ही सीमित रह कर भाषण दें तो उपयुक्त होगा। नहीं तो फिर यह तो चौपड़ के भाषणों की तरह हो जावेगा। इसलिये माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि अगर वे इस संशोधन पर बोलना चाहें तो बोलें और थर्ड क्लास का भी कोई संशोधन वे देना चाहें तो दे दें। मुझे आपत्ति नहीं होगी। और मुझे उसे स्वीकार करने में भी आपत्ति नहीं होगी। यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के संशोधन के देने का समय नहीं था। इसलिए पहले हम इस तरह का संशोधन नहीं दे पाये थे। अब मैं अपना ऐसा संशोधन प्रस्तुत करता हूँ। थर्ड क्लास का संशोधन मैं प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—जयपुर गवर्नमेंट के समय में जब धारा सभा यानी असेम्बली बनी थी तो टिकटों का नम्बर भी दिया जाता था और इनके साथ साथ मेम्बर से सर्टीफिकेट भी पेश किया जाता था। इसके अन्दर संशोधन मेरे एक मित्र अभी भेज रहे हैं। अगर माननीय चीफ मिनिस्टर साहब इस चीज़ को मन्जूर कर लें कि जो थर्ड में आवे वह थर्ड के टिकट का नम्बर और उसका सर्टीफिकेट देगा, जो सेकिन्ड में आवेगा वह सेकिन्ड का नम्बर और उसका सर्टीफिकेट पेश करेगा और इन्टर में आवे तो इन्टर के टिकट का नम्बर और उसका सर्टीफिकेट पेश करेगा, तो कहना तो यह था कि वह चीज भी होनी चाहिये और वह भी चीज नहीं होती है। थर्ड का कहते हैं वह भी नहीं होती हैं। इसका तात्पर्य यह होगा कि उनकी जो भावना है वह इसके विपरीत है। अगर टिकिट के नम्बर नहीं आते हैं तो इसके कारण कई तरह के बखेड़े और मुकदमेबाजी तक होती है। तो टिकिट के साथ

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

नम्बर और सर्टीफिकेट इस बिल के साथ लगाने का अगर आप संशोधन मान लेंगे माननीय मुख्य मन्त्री जी, तो ज्यादा अच्छा होगा ।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री कस्तूरचन्द—माननीय अध्यक्ष महोदय,......

श्री अध्यक्ष—क्या बोलेंगे आप ?

श्री कस्तूरचन्द—मैं दांता रामगढ़ के सदस्य की भावना का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि........

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—उनका प्रश्न तो है ही नहीं हमारे सामने ।

मैंने जैसा पहले अर्ज किया था कि अगर कोई संशोधन होता तो उसके ऊपर हम विचार भी करते । और संशोधन हमारे सामने एक है श्री जवानसिंहजी का । जवानमलजी नहीं कहा मैंने । (हंसी) और मैं उनके उस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ । मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि यह सेकन्ड क्लास जहां जहां बनी है वह अक्टूबर, १९५३ से बनी है। इससे पहले तो फर्स्ट क्लास का जिन्होंने किराया दिया वह उन्होंने चार्ज कर लिया आपका संशोधन हम स्वीकार कर लेते हैं तोफिर अक्टूबर,५३ से जो लोग सेकन्ड क्लॉस में गये और सेकन्ड में भी ट्रेवल किया उनको भी फर्स्ट क्लास देना पड़ेगा और वहां पर यह एक और नई भूल होगी । ऐसी हालत में मेरा ख्याल है कि आपको यह संशोधन वापिस लेना चाहिये और एक और इस प्रकार का जो फालतू खर्चा होता है उससे सरकार को बचाना चाहिये और जो त्याग का वातावरण इस वक्त है उसमें आपको इससे सहमत हो जाना चाहिये और इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क भी होता नहीं है । यह हो सकता है कि कुछ सदस्यों को शायद खर्च ज्यादा करना पड़ेगा, खास तौर से कोटा के सदस्यों को, क्योंकि वहां ऐसा हो सकता है; जो सवाई माधोपुर से कोटा तक फर्स्ट क्लास में आये । उनको मुमकिन है कि कुछ रिफंड भी करना पड़े । तो इस मामले में शायद छोटी सी रिफन्ड हो । वे अगर इसको स्वीकार कर लें तो उनके नुकसान के मुकाबले में जो सरकार पर अधिक भारी बोझा पड़ने वाला है वह नहीं पड़ेगा ।

इसके अतिरिक्त एक चीज और अर्ज करना चाहता हूँ कि इस विषय पर हम इतनी ज्यादा चर्चा करने लग गये हैं । तो जो एक दिन में हजार रुपया हम बचाने जा रहे हैं वह इस बहस बाजी को जारी अगर हमने एक दिन रखा तो इससे एक हजार डेढ़ हजार का और नुकसान ही सरकार को होगा । इसलिए हमारी बहसबाजी भी सीमित इतनी होनी चाहिये कि जिसमें यहां असेम्बली का ज्यादा खर्चा न हो और इस तरह से त्याग की भावना का चारों तरफ हम ध्यान रखें । मुझे इतना

[श्री जयनारायण व्यास]

ही निवेदन करना है। अन्त में मुझे आशा है कि श्री जवानसिंह जी अपना संशोधन वापिस ले लेंगे।

श्री **जवानसिंह**—प्रत्युत्तर में दुख के साथ केवल इतना ही निवेदन करना है कि उन माननीय सदस्यों ने जिन्होंने बिना कारण ही उस वक्त और आज तक इस वर्ष तक का जो कानून लागू है किराया उठाने का, इसकी तहत में कानून को मानते हुए, अगर किराया लिया है तो मेरा ख्याल हैं उन्होंने गलती कोई नहीं की है और इस चीज को हम कानून सम्मत मानते हुए कि उन्होंने गलती कहीं नहीं की है और इस चीज को, इस कानून को मानते हुए उस कानून की कद्र करनी चाहिये। यह मेरा खयाल था और अगर उससे सहानुभूति रखते तो बेहतर तो यह होता कि एक अक्टूबर से जब से सेकन्ड क्लास चालू हुआ उसके लिए निश्चित तारीख रख सकते थे कि इस तारीख के बाद में किराया उठाना है तो यह गलत हो सकता है।

श्री **जयनारायण व्यास**—अक्टूबर ५३ के पहले तो दिया गया है, उसका कोई सवाल नहीं उठता है रिफन्ड करने का।

श्री **जवानसिंह** (जारी)—तो मेरा तात्पर्य इतना ही है कि जिन आदमियों ने खर्च किया है कानून के माफिक और जिसको आपने अलाऊ किया है कानून पास करके उनके साथ किसी प्रकार की ज्यादती नहीं होनी चाहिये। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब था। अब जबर्दस्ती संकोच में डालकर आप यह चाहें कि उन्होंने जितना भी पैसा ज्यादा लिया है वह वापिस दे दें, तो यह ठीक नहीं है। यह तो उनके साथ ज्यादती है क्योंकि यह गलती उनकी नहीं है और यह माननीय मुख्य मन्त्रीजी भी मानते हैं और सदन भी इस बात को मानता है और ऐसी हालत में जिन सदस्यों पर इसका असर पड़ता है वे स्वयं ही इस बारे में बोलना नहीं चाहते तो मुझे तो क्या आपत्ति होनी चाहिये। इसलिए मैं अपना संशोधन वापिस लेने को इजाजत चाहता हूं।

श्री **अध्यक्ष**—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी प्रदान की गई।

श्री **जवानसिंह**—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री **अवनिकुमार मुकर्जी**—I have given a notice of an amendment. Have I your permission, Sir?

श्री अध्यक्ष—Neither it is worthwhile nor it is graceful for this House to discuss these.

श्री हिम्मतसिंह—Neither in order, Sir.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री जवानसिंह—'नो' की आवाज एक भी नहीं निकली।

(विराम)

खण्ड ४.

(विराम)

श्री अध्यक्ष— प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल व टाइटल।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, टाइटल, और प्रिएम्बल बिल में अंगभूत स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, टाइटल और प्रिएम्बल विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री जयनारायण व्यास—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पास किया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रथम संशोधन विधेयक पारित हुआ ।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारी एवं सदस्य पारिश्रमिक) द्वितीय संशोधन विधेयक, १९५४

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—दूसरा बिल जो है इसके ऊपर कोई एमेंडमेंट नहीं है। मैं अब दूसरे बिल के ऊपर विचार करने के लिए बाकायदा प्रस्ताव पेश करता हूं । सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के विषय में कुछ अर्ज किया था, और इसमें जो सब क्लॉज़ है वह एमेनिटीज़ का है ।

"Amenities.- Every member of the Rajasthan Legislative Assembly shall be entitled to such medical, housing, telephone and postal facilities as may be prescribed."

यह रूल्स से है। उन रूल्स में इस तरह की चेन्जेज़ नहीं हो रही हैं कि जिससे दो दिन आगे और दो दिन पीछे का भता मिले, इन्टेरिम जर्नी का मिले। मेडिकल फेसिलिटीज़ में उससे ज्यादा फेसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ; हाउस का ऐसा सेन्स है उसको मान लेता हूँ। इस बिल को इसी भावना के साथ पारित कर दिया जाय। फिर भी अगर रूल्स में चेन्ज करने का आग्रह होगा तो सदन के सम्मुख दुबारा लाऊंगा कि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि सदस्य की वह सुविधा ली जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विचारार्थ लेने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हू कि अब बहस की आवश्यकता नहीं, इसलिए यह विधेयक पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—There is no use passing this Bill. The Members do not want this Bill.

श्री जयनारायण व्यास—तो फिर में इस बिल को वापिस लेता हूं। सब हैं सुविधाएं, कुछ रूल्स बने हुए हैं, कुछ फेसिलिटीज़ हैं, यह रिडन्डेन्ट बिल क्यों पास करें ? मैं हाउस की त्यागवृति को देखते हुए, इस बिल को वापिस लेने की सदन की अनुमति चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

("नो, नो" की आवाजें)

श्री कपिलदेव अग्रवाल—इस बिल को क्लॉज़ बाई क्लॉज़ ले लिया जाय। खिलाफत दो दिन पहले और दो दिन बाद की हैं। दो दिन पहले आने और दो दिन बाद जाने का नहीं दिया जाय। बाकी इन्टेरिम का है।

श्री अध्यक्ष—बीच में आने-जाने का है, वह चाहते हैं।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—इसमें ऐसा आश्वासन दे दिया जाय कि दो दिन पहले आने और दो दिन बाद जाने का भत्ता नहीं मिलेगा।

श्री जयनारायण व्यास—वह आश्वासन दिया गया है। थर्ड क्लास के लिए संशोधन लाना पड़ेगा और जल्दी से संशोधन लाने का आश्वासन देता हूँ। तीसरी बात इन्टेरिम जर्नी की है। जहां तक सरकार का ताल्लुक है वह आश्वासन है। उस आश्वासन को स्वीकार करता हूँ।

श्री कपिलदेव—इन्टेरिम जर्नी का ठीक है।

श्री जयनारायण व्यास—कम से कम सरकार के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप हाउस की सेन्स लेलें।

श्री अध्यक्ष—To take sense is a matter of commonsense.

श्री जयनारायण व्यास—मतलब सरकार का यह है कि एक को दे दें तो फायदा उठायेंगे सब और कहेंगे कि जब सरकार देती है तो क्यो न लें।

श्री अध्यक्ष—रूल्स फ्रेम करिये, फिर पास करा लीजिये।

श्री जयनारायण व्यास—इन्टेरिम जर्नी के बारे में सेन्स लेना चाहता हूं। रूल्स फ्रेम करने के लिए हाउस को एक कमेटी के रूप में परिणत कर दिया गया।

श्री घीसीसिंह—कौन कहता है कि नहीं लेना है। जिन लोगो के पास...

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि इस बिल को पारित किया जाय। जो इसके पक्ष में हों वह 'हां' कहें और जो विपक्ष में हों वे 'नां' कहें।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ ।

पंखा गिरने सम्बन्धी तथ्य जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिए समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष—मैं एक एनाउन्समेंट कर दूं । एक फेक्ट फाइन्डिंग कमेटी जो फेन इसीन्डेन्ट के ऊपर मैंने एप्वाइन्ट की थी उसका टाइम फर्स्ट वीक ऑफ दी नेक्स्ट सेशन तक के लिए और एक्सटेन्ड कर दिया जाय। कुछ उसमें एक्सपर्ट्स को और एक्जामिन करना है, इसलिए वह कर दिया जाय।

(विराम)

Now motion for extension of time. Shri Ram Kishore Vyas.

श्री एच. के. व्यास द्वारा दिनांक २४ मई एवं २८ जुलाई, १९५४ को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिए समय में वृद्धि

श्री रामकिशोर व्यास—Sir, I beg to move that as required under sub rule (1) of Rule 58 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly, the time appointed for the presentation of the report by the Committee on a question of privilege raised by Shri H. K. Vyas be further extended upto the commencement of the next session.

श्री अध्यक्ष—Is it the wish of the House ?

(स्वीकृत)

The entendion Is granted.

राजस्थान सीमेंट बिक्री करारोपण विधेयक, १९५४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिए समय में वृद्धि

श्री भोलानाथ—Sir, I beg to move that the time appointed for the presentation of the report of the Select Committee on the Bill to provide for the imposition and levy of a tax on the sale of cement produced and manufactured in the State of Rajasthan be further extended upto the last day of the second week of the next session.

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की यह अनुमति है कि समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्तव स्वीकारा किया गया

राजस्थान मुद्रांक विधि (अन्तर्ग्रहण) संशोधन विधेयक, १९५३ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि

श्री भोलानाथ—Sir, I beg to move that the time appointed for the presentation of the report of the Select Committee on the Bill further to amend the Rajasthan Stamp Law Adaptation Act, 1953 be further extended upto the last day of the second week of the next session.

क्या सदन की स्वीकृति है।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—अब मैं इस सदन की कार्यवाही को साइनडाइ एडजोर्न करता हूं और हम १० मिनिट के बाद जो कल का विषय बाकी है उसको ले लेंगे।

श्री जयनारायण व्यास—मेरा ऐसा ख्याल है कि...

श्री अध्यक्ष—आपस में कम्पर कर लीजिये। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को सेन्टर का कुछ खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही ११.३५ मध्यान्हपूर्व पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ५– नवम्बर, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

(कृपया प्रश्न संख्या २०८७ का उत्तर देखिये)

उत्तर

(क) राजस्थान में निम्नलिखित कारखाने हैं जिनसे रोयल्टी वसूल की जाती है ।

		तादाद
१.	उदयपुर डिविज़न	६१
२.	कोटा डिवीज़न	१०
३.	जोधपुर डिवीज़न	२
४.	जयपुर डिवीज़न	८
	कुल योग	८१

(ख) उक्त टैक्स या रायल्टी जिस जिस कारखाने से जिस जिस रेट पर वसूल की जाती है उसका नक्शा साथ है ।

STATMENT OF INDUSTRIES WHICH ARE PAYING ROYALTY

UDAIPUR DIVISION

S. No.	Name & kind of Industries		Location	Royalty on kapas per md.	Royalty on Pressing per bale.
1.	Ginning and Pressing Factory.		Raila	-/4/-	Rs- 2/8/-
2.	,,		Fatehnager	-/3/-	Rs. 2/8/-
3.	,,		Gangarar	-/3/-	Rs. 2/8/-
4.	,,	I	Nimbaheda	-/2/-	-/13/-
5.	,,	I	Gangapur		-/4॥-
6.	Ginning Factory.		Kotadi	-/4/-	
7.	,,		Badi Sadri	-/4/-	
8.	,,		Raipur	-/4/-	
9.	,,	I	Bhinder	-/4/-	
10.	,,		Kasod	-/4/-	
11.	,,	I	Asind	-/2/6	
12.	,,		Karju	-/4/-	
13.	,,		Begu	-/4/-	
14.	,,		Kachhola	-/4/-	
15.	,,		Bigod	-/3/-	
16.	,,		Banera Amar	-/4/-	
17.	,,		Shahada	-/1/6	
18.	,,	I.	Uncha	-/1/-	
	,,			-/1/6	
19.	,,		Paroli	-/4/-	
20.	,,		Kankroli	,,	
21.	,,		Rashmi	,,	

	1		2	3	4
22.	"		Tetodi	—4—	
23.	"	I	Phulia	..	
24.	"	I	Hamirgarh	"	
25.	"	II	Mahavir Hamirgarh	"	
26.	"		Kajophul Rupaheli		
27.	"		Shambhugarh	"	
28.	"		Kanechhan	"	
29.	Ginning Factory		Molela	"	
30.	"		Sagramgarh	"	
31.	"		Khamor	"	
32.	"		Antoly	"	
33.	"		Mohana	-/-/6	
34.	"		Baneda Padam	-/3/-	
35.	"		Pratapgarh	Rs. 2/- per md. (Bapuli)	
36.	"		Banaras	-/5/-	
37.	"		Ballabhnagar	-/4/-	
38.	"	II	Bhinder	-/4/-	
39.	"		Devgarh	-/4/-	
40.	"		Nakum	Rs. 5/- per Gin	
41.	Textile Mill		Bhilwara	-/1/3 per Rupee -/9/3 per percent sale -/3/- proceed	
42.	Mahadev Cotton Mill		Bhilwara	Rs. 2/8/- sale proceeds.	
43.	Mewar Oil & Sugar Mill		Bhupal Sagar	2% on Sale Proceed.	
44.	Mewar Oil Mill, Udaipur		Udaipur	Rs. 2 per cent sab proceeds	
45.	Ginning Factory.		Khejadi	-/4/-	

1		2	3	4
46.	,,	Gulabpura	—4—	
47.	,,	II Pratapgarh	,,	
48.	,,	Sangarai	,,	
49.	,,	I Bhilwara	,,	
50.	,,	II Nimbahera	,,	
51.	,,	II Gangapur	,,	
52.	,,	Daulatgarh	,,	
53.	,,	II Bhilwara	,,	
54.	,,	Shahpura	,,	
55.	,,	II Uncha	,,	
56.	,,	Kanod	,,	
57.	,,	Sanwar	,,	
58.	,,	Mahendragarh	,,	
59.	,,	II Asind	,,	
60.	,,	II Phulia	,,	
61.	,,	Mandal	,,	

KOTAH DIVISION

62.	Jaipur Dal £ Oil Mills,	Baran	-/4/-	
63.	Sabu Oil Mill	Baran	-/-/3	
64.	Rajnendra Taipuria Oil Mill & Ginning Factory	Bhawanimandi	-/2/6	
65.	Rani Ginning Factory.	Dug.	-/4/-	
66.	Bharatpur Industries Corporation.	Bharatpur	Rs. 1,250/- yearly.	

	1	2	3	4
67.	Associated Cement Co.,	Lakheri	-/3/- pen ton.	
68.	Shri Laxmi Ginning aud Pressing Factory.	Ramganjmandi	-/1/6	
69.	Associated Stone Industry	-do-	Rs. 1/- per sq. ft.	
70.	Jhalawar & Co.,	Bhawanimandi	-/-/3	-/1/- per bale
71.	Kanhaiya Lal Inder Ginning Factory.	Bakani	-/1/-	
		JAIPUR DIVISION		
72.	Cotton Press Co.,	Kishangarh	-/5/- per bale.	
73.	Hind Hosiery & Textile Mill,	Jaipur	5% of profit.	
74.	Vijai Hosiery Mill,	Jaipur	5% of profit.	
75.	Maheshwari Hosiery & General Mill,	Jaipur	-do-	
76.	Shankar Hosiery Factory.	-do-	-do-	
77.	H. Wooll Factory.	-do-	-do-	
78.	Shanti Hosiery Factory.	-do-	-do-	

1		2	3	4
79.	Agrawal Crystal Ice Factory	-do-		-do-
		JODHPUR Division		
80.	Pali Mills Ltd.	Pali		7½% on net profit
81.	Hira Crushing Factory	Jodhpur		-/8/- per ton

शुद्धि-पत्र

५ नवम्बर १९५४

१—कृपया पृष्ट संख्या ७५४० के शीर्षक में '[illegible]' के स्थान पर 'विधेयक' पढ़ें ।

२—कृपया पृष्ट संख्या ७५४२ के शीर्षक में 'विधेयक' के स्थान पर 'अधिनयम' पढ़ें ।

३—कृपया पृष्ट संख्या ७५४६ में १०वीं पंक्ति में 'मदस्यगण' के स्थान पर 'सदस्यगण' पढ़ें ।

४—कृपया पृष्ट संख्या ७५५० में द्वितीय पंक्ति में 'श्री सराज' के स्थान पर 'श्री हंसराज' पढ़ें ।

५—कृपया पृष्ट संख्या ७५६० में ११ वीं पंक्ति में 'का विचारार्थ लिया जाय' के स्थान पर 'का प्रथम संशोधन करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जाय ?' पढ़ें ।

६—कृपया पृष्ट संख्या ७५६६ की प्रथम पंक्ति में '[श्री नाथूराम मिर्धा]' के स्थान पर '[श्री अध्यक्ष]' पढ़ें ।

७—कृपया पृष्ट संख्या ७५७० में तीसरी पंक्ति में 'स्वीकारा' के स्थान पर 'स्वीकार' पढ़ें तथा चौथी पंक्ति में 'जस्थान' के स्थान पर 'राजस्थान' पढ़ें ।